लोक प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. के माध्यम से

शुकला

वी.

भारत और अन्य का संघ

2015 की लिखित याचिका (सी) संख्या 784

फरवरी 16,2018

[ जे. चेलामेश्वर और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951-अध्याय 2, भाग

III-एसएस। 2 ( छ), 7 (ख), 8,8ए, 9,9ए, 10,10ए, 33ए, 33बी, 77,78,100,123 और 169-अनुचित आधार पर विधायकों की अयोग्यता

परिसंपत्तियों में वृद्धि-मतदाताओं का महत्वपूर्ण जानकारी जानने का अधिकार

उम्मीदवार-पंजीकृत सोसायटी द्वारा दायर लिखित याचिका में कहा गया है कि

संसद और राज्य विधानसभाओं के कुछ सदस्यों की संपत्ति

आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात में वृद्धि हुई-याचिकाकर्ता

विभिन्न राहतों की मांग की-आयोजितः संसद ने विभिन्न नियम निर्धारित किए हैं - 1951 के अधिनियम के भाग II के अध्याय III में अयोग्यता-हालाँकि,

धन का अनुचित संचय (विधायकों की संपत्ति) 1951 के अधिनियम या यू/आर्ट्स के तहत निर्दिष्ट आधारों में से एक नहीं है। 102

और संविधान का 191 जो कुछ को निर्धारित करता है

अयोग्यता-वित्तीय पृष्ठभूमि, इसके सभी पहलुओं में, उम्मीदवार प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी है-मतदाताओं के पास एक

उम्मीदवारों के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने का मौलिक अधिकार-याचिकाकर्ता की प्रार्थना संख्या 1 (1) इस प्रकार, आर. 4ए

चुनाव संचालन नियम, 1961 और इसके साथ संलग्न प्रपत्र 26

उक्त नियमों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए, जिसमें उम्मीदवारों और उनके जीवनसाथी और आश्रितों को अपनी आय के स्रोत घोषित करने की आवश्यकता होती है। 1 ( 3 ) ( (ii) एक की स्थापना के लिए दिशा की मांग करना

उनके कार्यकाल के दौरान विधायकों की परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि की जांच/जांच करने के लिए स्थायी तंत्र

विधायक के रूप में कार्यकाल, प्रार्थना सं। 2 घोषणा की मांग करते हुए कि गैर

नहीं। 4 अनुबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यदि कोई हो तो उपयुक्त सरकार या तो उम्मीदवार या उसके जीवनसाथी द्वारा

और आश्रितों और प्रार्थना नं। 5 फॉर्म 26 में संशोधन की मांग

कुछ और जानकारी प्रदान करने के लिए, इसकी भी अनुमति है-हालाँकि, प्रार्थना संख्या। 1 ( 2 ) और 3 जहाँ तक वे प्रकृति में दिशा की तलाश करते हैं

892 लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत का संघ

1951 के आर. पी. अधिनियम में संशोधन पर विचार करने का आदेश और प्रार्थना सं. 1 ( 3 ) ( i) इस मामले में चयनात्मक जांच/जांच की मांग करना।

" नामित विधायकों की परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि,

अनुमति नहीं है-भारत का संविधान-कला। 19 ( 1 ) ( क), 32,58,66,84,102 (1) (ङ), 191 (1) (ङ) 173,326,329-7 वीं अनुसूची, सूची 1, प्रविष्टि 72-चुनाव संचालन नियम, 1961-आर 4 ए, प्रपत्र 26-रोकथाम

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988-एस. 13 ( 1 ) ( ई), 13 (2)-चुनाव कानून चुनाव सुधार।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 169 – नियम

केंद्र सरकार-चर्चा किए गए प्रशासनिक कानून-अधीनस्थ विधान के तहत शक्ति बनाना।

लेखन-कब जारी नहीं किया जा सकता-अन्य बातों के साथ-साथ दायर लिखित याचिका

1951 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग-आयोजितः किसी भी विधायी निकाय को कानून बनाने के लिए मजबूर करने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती थी।

इसलिए 1951 के अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना नहीं की जा सकती है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951।

रिट याचिका को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने पकड़नाः 1.1 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यताओं को निर्धारित करने वाले भाग II के अध्याय III में विभिन्न प्रावधान हैं। वे धारा 8,8 ए, 9,9 ए, 10 और 10 ए हैं। भाग II के अध्याय IV में एक प्रावधान है जिसमें अयोग्यता को निर्धारित किया गया है - मतदान, जाहिर है, अनुच्छेद 326 के तहत संसद के अधिकार के लिए संदर्भित है। 'अयोग्य' अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है -

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 7 (बी)। [ पारस 11,12] [908-एफ-जी]

1.2 धारा 33 ए आदेश देती है कि एक उम्मीदवार की भी आवश्यकता है

नामांकन दाखिल करने के समय निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र देना। उक्त जनादेश के परिणामस्वरूप, नियम 4 ए को चुनाव संचालन नियम, 1961 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म No.26

में एक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता है। फॉर्म, जैसा कि मूल रूप से नियम 4 ए डब्ल्यू. ई. एफ. 3.9.2002 के तहत निर्धारित किया गया था, डब्ल्यू. ई. एफ. 1.8.2012 के स्थान पर था। प्रपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिकारियों द्वारा उम्मीदवार को दिए गए स्थायी खाता संख्या (पैन) के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। इसमें परिसंपत्तियों (दोनों [2018] 2 एस. सी. आर.) के विवरण की भी आवश्यकता होती है।

उनके जीवनसाथी और आश्रितों (सामूहिक रूप से ASSOCIATES के रूप में संदर्भित) के चल और अचल। [ पैरा 26] [915-एफ; 916 ए-बी]

इसमें अपराधों की गणना की गई है। उदाहरण के लिए: पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत, एक लोक सेवक का व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कब्ज़े में होना कदाचार है। " आय के ज्ञात स्रोतों से असमान आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का। धारा 13 (2) के तहत, इस तरह का कदाचार एक अपराध है जो 10 तक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है।

वर्षों तक और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी। यह न्यायालय पहले ही मान चुका है कि एक न्यायाधीश एक लोक सेवक होता है। आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) (एम) घोषणा करती है कि पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत एक अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को विधायक (संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को "विधायक" के रूप में संदर्भित) के रूप में चुने जाने या बने रहने दोनों के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है। [ पैरा 35] [924 ई; 925-ए-बी]

विसंगति: 1.4 आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) (एम) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाए और कारावास की सजा दी जाए।

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत विभिन्न गणना किए गए अपराधों के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने के लिए या तो चुने जाने या लेजिस्लेटर के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य ठहराए जाते हैं। याचिकाकर्ता इस तरह की अयोग्यता की मांग करता है कि इसके तहत दोषसिद्धि के अभाव में भी लगाया जाए

1.5 संसद ने आर. पी. अधिनियम 1951 (धारा 8,8ए, 9,9ए, 10 और 10ए) के भाग 2 के अध्याय 3 में विभिन्न अयोग्यताओं को निर्धारित किया है। उन अयोग्यताओं में से प्रत्येक उन धाराओं में से प्रत्येक के तहत निर्दिष्ट विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है। धन का अनुचित संचय (न्यायाधीशों की संपत्ति) उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के तहत या संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के तहत निर्दिष्ट आधारों में से एक नहीं है। कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करें। हालाँकि, दोनों अनुच्छेदों में यह निर्धारित किया गया है कि संसद, किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से लोक प्रहरी निर्धारित कर सकती है।

इसके तहत निर्दिष्ट अयोग्यताओं के अलावा अन्य। [ पैरा 38] [926-बी-सी]

डॉ. इंद्रमणि प्यारेलाल गुप्ता और अन्य बनाम डब्ल्यू. आर. नातु

& अन्य एआईआर 1963 एससी 274: [ 1963 ] एस. सी. आर. 721-पर निर्भर।

1.6 परिसंपत्तियों की हेरफेर और अनुचित वृद्धि

अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाना। यदि राष्ट्र का मानना है कि जो लोग इसके विधायी निकायों के लिए चुने गए हैं, उन्हें अपने चुनाव का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए साधनों का सहारा लेकर धन के संचय के लिए कानून,

1951 के आर. पी. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्चे बनाए जाने की आवश्यकता है। अयोग्यता निर्धारित करने का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता को बनाए रखना है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता मौलिक है। संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है जो केंद्र सरकार को (संविधान की धारा 169 के तहत संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) नियम नहीं बनाने चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) के साथ पठित 1951 का आर. पी. अधिनियम इस तरह की अयोग्यता का प्रावधान करता है। दूसरी तरफ साथ ही, संसद ने 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 169 के तहत भारत सरकार को परिवहन के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया।

अधिनियम के उद्देश्यों को स्पष्ट करें। निर्वाचन नियम, 1961 का संचालन अधीनस्थ विधान का एक उदाहरण है; जिसे 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 169 (1) के तहत दी गई शक्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया है। धारा 169 (2) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने को अधिकृत करती है-'नियम बनाने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना'। धारा 169 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है। नियम-निर्माण का कार्य किसी कानून के काम करने में कमियों को भरना है क्योंकि कोई भी विधायिका उन सभी संभावित स्थितियों को कभी नहीं समझ सकती है जिन्हें कानून द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता होती है। तार्किक रूप से, [2018] 2 एस. सी. आर. में कोई कठिनाई नहीं है।

निर्देशात्मक सिद्धांतों के अधिदेश और पी. सी. अधिनियम के तहत संसद के निर्देश के आलोक में याचिकाकर्ता के निवेदन को स्वीकार करना कि धन का इस तरह से अनुचित वृद्धि एक दोषपूर्ण अपराध है। यह घोषणा करते हुए उचित प्रावधान करने की आवश्यकता है कि परिसंपत्तियों का अंतर्ग्रहण

इसके बिना भी एक विधायक को अयोग्य घोषित करने का आधार है पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए न्यायाधीश पर मुकदमा चलाना।

यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तथ्यों का एक दिया गया सेट कानून में नागरिक और आपराधिक दोनों परिणामों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए; राज्य के तहत रोजगार के संदर्भ में, तथ्यों का एक दिया गया सेट एक अपराध के लिए अभियोजन को जन्म दे सकता है और साथ ही एक कर्मचारी की सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार भी बन सकता है। [ पारस 40-42] [927-C-G; 928-A-D]

किसी विधायी प्रिस्क्रिप्शन के अभाव में भी एक विधायक पर अयोग्यता लागू की जा सकती है, आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 169 के साथ पठित अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) की योजना और अवधि, भारत सरकार

निःसंदिग्ध रूप से यह घोषणा करते हुए उचित नियम बनाकर ऐसी शर्त लगाने में सक्षम हो कि

ए. एस. एस. ई. टी. एस. एक विधायक को "अयोग्य" बना देगा। इसके अलावा, भारत सरकार के लिए यह समान रूप से सक्षम होगा कि वह विधायी संस्थाओं और उनके संगठनों के वित्तीय मामलों की निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करे।

समय-समय पर प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाना। क्योंकि

इस तरह के स्थायी तंत्र की स्थापना एक विधायक घोषित करने के लिए प्राधिकरण की एक आवश्यक घटना होगी।

" अयोग्य "। [ पारस 43,46] [928-डी; 929-ई-जी]

राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य (2007) 3 एस. सी. सी. 184: [ 2007 ] 1 एस. सी. आर. 317-पर निर्भर था।

मतदाता को जानकारी: 1.8 उम्मीदवारों और उनके संघों की आय के स्रोतों के बारे में जानकारी, निश्चित रूप से मदद करेगी

मतदाता प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार का एक सूचित विकल्प चुनने के लिए

विधान सभा में निर्वाचन क्षेत्र। इसलिए यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।

एडीआर मामले में यह न्यायालय।

इस तरह के आंकड़ों का संग्रह लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. द्वारा किया जा सकता है।

शुकला बनाम। भारत का संघ

किसी भी सरकारी एजेंसी या यहाँ तक कि चुनाव आयोग द्वारा भी।

इस तरह के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए राज्य और उसके उपकरणों और अन्य निकायों को उचित निर्देश देने के लिए संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं। दूसरी ओर, किसी को भी लेजिस्लेटर बनने या लेजिस्लेटर बनने के लिए चुनाव लड़ने का मौलिक अधिकार नहीं है। वे केवल संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न सीमाओं और 1951 के आर. पी. अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा संरचित संवैधानिक अधिकार हैं। संविधान स्पष्ट रूप से संसद द्वारा आगे की योग्यताओं या अयोग्यताओं को निर्धारित करके कानून के अधिकार द्वारा या उसके तहत उन अधिकारों की संरचना की अनुमति देता है। विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को सभी मतदाताओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों के रूप में प्रस्तावकों की उचित संख्या और 1951 के आर. पी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुपालन को छोड़कर। लेकिन निर्वाचित होने के लिए, हर उम्मीदवार

अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या के 'बहुमत' की मंजूरी की आवश्यकता होती है। मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने का मौलिक अधिकार है। पहले चर्चा किए गए कारणों के लिए, उम्मीदवार और उसकी सभी पहलुओं में वित्तीय पृष्ठभूमि

ए. एस. ओ. सी. आई. ए. टी. ई. एस. प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए, विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का एक उम्मीदवार का संवैधानिक अधिकार उम्मीदवार के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने के मतदाता के मौलिक अधिकार के अधीन होना चाहिए।

इस क्षेत्र में तर्कसंगत चयन। [ पारस 47-49] [929-H; 930-A, D, F-G; 931-A-B; 932-A-B]

भारत संघ बनाम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक और (2002) 5 एस. सी. सी. 295: [ 2002 ] 3 एस. सी. आर. 696-पर निर्भर।

1.9 इसमें कोई संदेह नहीं है, एक उम्मीदवार को खुलासा करने के लिए मजबूर करना

प्रासंगिक जानकारी, कुछ हद तक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकार पर कानूनी बोझ होगी। द. इसलिए सवाल यह है कि क्या इस तरह की मजबूरी पैदा करने के लिए वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता है। जब संविधान की योजना [2018] 2 एस. सी. आर. है।

उम्मीदवार द्वारा प्रकट की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी जानने के मतदाताओं के अधिकार पर प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मतदाता के मौलिक अधिकार के तहत जांच के अधीन है। इसलिए, मतदाता के लिए जानकारी पर कोई सीमा नहीं हो सकती है। अनुमान लगाया। फॉर्म 26 केवल उस जानकारी का संकेत है जो मतदाता को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। और धारा 169 (2) में ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति को रोकने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं है। [ पैरा 50] [932-सी-जी; 933-ए-सी]

1.10 आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत, प्रत्येक

उम्मीदवार को निर्वाचन अधिकारी को "निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया नामांकन पत्र" देना आवश्यक है।

लोक प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत का संघ

"विहित" पद को धारा 2 (छ) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित"। धारा 169 प्राधिकृत करती है

1.11 1951 के आर. पी. अधिनियम का संशोधन विशेष रूप से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि कोई भी अदालत किसी भी विधायी निकाय को कानून बनाने के लिए मजबूर करने के लिए कोई रिट जारी नहीं कर सकती थी। इसे विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रार्थना 1 (2) और 3, जहां तक वे 1951 के आर. पी. अधिनियम के संशोधन पर विचार करने के लिए अनिवार्य प्रकृति के निर्देश चाहते हैं, उन्हें मंजूरी नहीं दी जा सकती है। प्रार्थना 1 (1) में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी Nos.1 और 2 को इसमें परिवर्तन करने का निर्देश चाहता है। नियमों के नियम 4 ए के तहत निर्धारित फॉर्म 26, जो उम्मीदवारों को उनकी घोषणा करने के लिए बुलाने का प्रावधान करेगा।

आय के स्रोतों के साथ-साथ उनके संबंधित संघों की आय के स्रोत। प्रिस्क्रिप्शन जैसे एक याचिकाकर्ता द्वारा उम्मीदवार और उसकी संस्थाओं की आय के स्रोतों के प्रकटीकरण के संबंध में अनुरोध किया गया

निश्चित रूप से उपयुक्त नियम बनाकर नामांकन किया जा सकता है। भारत सरकार, 1951 के आर. पी. अधिनियम के तहत नियमों को निर्धारित करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रही है, जिसे लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

मतदाता के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत उम्मीदवारों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी जानने का मौलिक अधिकार है। उत्तरदाता

Nos.1 और 2 संविधान के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 169 (1) भारत सरकार को चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद नियम बनाने के लिए बाध्य करती है। न्यायधीशों की आय के स्रोतों और उनके बारे में जानकारी

एसोसिएशन और उम्मीदवार प्रासंगिक हैं और

कानून निर्माताओं और उम्मीदवारों को अधीनस्थ कानून द्वारा भी मजबूर किया जा सकता है। प्रार्थना अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है

1 ( 1 ) . [ पैरा 53,54] [934-बी-ई; 935-ए-बी]

1.12 एडीआर मामले और पी. यू. सी. एल. मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में, कोई कानूनी या मानक बाधा [2018] 2 एस. सी. आर. नहीं है।

न ही किसी भी उत्तरदाता द्वारा फॉर्म 26 (उम्मीदवारों द्वारा घोषणा) में परिवर्तन से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए कोई स्थायी कानूनी आपत्ति उठाई गई है। इसलिए, 1 (1) प्रदान किया जाना चाहिए और तदनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। यह निर्देश दिया जाता है कि नियमों के नियम 4 ए और नियमों से जुड़े फॉर्म 26 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों और उनके संघों को अपनी आय के स्रोतों की घोषणा करने की आवश्यकता होगी। [ पैरा 55] [935

सी, एफ]

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और एक अन्य बनाम। भारत संघ और एक अन्य (2003) 4 एस. सी. सी. 399-पर निर्भर था।

1.13 प्रार्थना 1 (3) (ii) में, याचिकाकर्ता एक निर्देश चाहता है

लेजिस्लेटर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान लेजिस्लेटर की परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि की जांच/जांच करने के लिए एक स्थायी तंत्र की स्थापना। (i) इस तथ्य पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है कि कानून निर्माताओं और/या उनके संघों की परिसंपत्तियों में वृद्धि - उनकी संबंधित आय के ज्ञात स्रोत, सम्मोहक अनुमान द्वारा, एक संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य आचरण है और

पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का गठन करता है और

( (ii) 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के अर्थ के भीतर 'अनुचित प्रभाव'। संवैधानिक और कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए इस देश की चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और लोकतांत्रिक संरचना की अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रतिनिधियों और उनके संघों के दायित्वों, उनकी संपत्तियों और आय के स्रोतों की लगातार निगरानी की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति लुई डी. ब्रांडेस ने बोधगम्य रूप से कहा: " सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालय निजी नागरिक का होता है। लोकतंत्र में संप्रभुता के अंतिम भंडार नागरिक के पास उन सभी सूचनाओं तक पहुंच होनी चाहिए जो राज्य के प्रदर्शन, इसकी साधनों और उनके पदधारी या इच्छुक सार्वजनिक अधिकारियों के महत्वपूर्ण ऑडिट को सक्षम बनाती हैं। ऐसी जानकारी तक पहुँच के माध्यम से ही नागरिक राज्य के सार्वजनिक पदों पर आसीन या आसीन होने के इच्छुक लोगों के संबंध में तर्कसंगत विकल्प चुनने में सक्षम/सशक्त होता है। [ पारस 56-58] [936-A-E]

1.14 राज्य का लोगों के प्रति संवैधानिक दायित्व है

यह सुनिश्चित करने के लिए कि धन का केंद्रीकरण लोकतंत्र के सामान्य नुकसान और दुर्बलता के लिए न हो। इसलिए, यह आवश्यक है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा सही अनुरोध किया गया है, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से लोक प्रहरी।

कार्य के लिए समर्पित एक स्थायी संस्थागत तंत्र होना चाहिए। इस तरह के तंत्र के लिए समय-समय पर कानून निर्माताओं और उनके संबंधित संघों के डेटा एकत्र करने और हर मामले में जांच करने की आवश्यकता होती है कि क्या परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि हुई है और उचित मामलों में या तो कानून निर्माता और/या कानून निर्माता के संबंधित संघों पर मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई की सिफारिश की जाती है या ऐसे कानून निर्माताओं की विधायिका के संबंधित सदन के सदस्य बने रहने की पात्रता पर विचार करने के लिए उचित विधायिका के समक्ष जानकारी रखी जाती है। इसके अलावा, उपरोक्त तंत्र द्वारा इस प्रकार एकत्र किए गए डेटा के साथ-साथ विश्लेषण और सिफारिश, यदि कोई हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को सक्षम बनाया जा सके। यदि ऐसा विधायी भविष्य में किसी विधायी निकाय के लिए कोई चुनाव लड़ने का विकल्प चुनता है तो ऐसा विधायी एक सूचित और उचित निर्णय लेगा। ऊपर बताए गए कारणों से,

प्रथम उत्तरदाता की प्रार्थना 1 (3) (ii) की अनुमति है। [ पारस 59-61] [936 F-H; 937-A-B] 1.15 प्रार्थना 1 (3) (i) में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि "असमान वृद्धि" की जांच/जांच की जाए।

रिट याचिका के अनुलग्नक पी-6 में नामित न्यायाधीशों की संपत्तियों में। याचिकाकर्ता द्वारा नामित कानूनविदों के संदर्भ में मांगी गई जांच/जांच, किसी भी स्थायी तंत्र के अभाव में मामले की चुनिंदा जांच के बराबर होगी जो नियमित रूप से सभी कानूनविदों और/या एक वर्ग के रूप में उनके संघों की परिसंपत्तियों के विकास की निगरानी करती है। इस तरह की चयनात्मक जांच राजनीतिक मोड़ ले सकती है।

चुड़ैल-शिकार। इसलिए, इस स्तर पर यह राहत कम हो जाती है। [ पैरा 62] [937-सी-डी]

1.16 प्रार्थना नं. 2 यह घोषणा करना चाहता है कि परिसंपत्तियों और आय के स्रोतों का खुलासा न करना 'अनुचित प्रभाव' के बराबर होगा-1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत एक भ्रष्ट प्रथा।

उम्मीदवारों और उनके संघों की परिसंपत्तियों और आय के स्रोतों का खुलासा न करने से

'अनुचित प्रभाव' शीर्षक के तहत आने वाली भ्रष्ट प्रथा, जैसा कि परिभाषित किया गया है

1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत। इसलिए प्रार्थना संख्या 2 की अनुमति है। [ पारस 63,64] [937-ई; 938-बी; 939-ई]

1.17 प्रार्थना संख्या 4 में, याचिकाकर्ता केवल मांग कर रहा है

उपयुक्त [2018] 2 एस. सी. आर. के साथ अनुबंधों के बारे में जानकारी, यदि कोई हो।

उम्मीदवार या उसके जीवनसाथी और आश्रितों द्वारा सरकार। पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, उपरोक्त प्रार्थना के तहत आवश्यक जानकारी निश्चित रूप से प्रासंगिक जानकारी है। संपत्ति के अनुचित वृद्धि के आधार पर अयोग्यता, इसलिए, राहत देने के लिए कोई आपत्ति नहीं है जैसा कि अनुरोध किया गया है। [ पैरा 65-66] [939-F-H]

1.18 इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने फॉर्म 26 में संशोधन करने की मांग की है।

कुछ और जानकारी प्रदान करें। माँगी गई जानकारी का विश्लेषण इंगित करता है कि सारी जानकारी के संदर्भ में है

1951 के आर. पी. अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित अयोग्यताएँ। इस तरह की जानकारी निश्चित रूप से एक मतदाता के लिए चुनाव के समय एक उचित विकल्प बनाने के लिए प्रासंगिक और आवश्यक होगी कि वह किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करे या नहीं। इसलिए, प्रार्थना संख्या के माध्यम से की गई सभी छह प्रार्थनाएँ। 5 आई. ए. संख्या 8 में अनुमति है। [ पैरा 67] [939-ए-बी]

सामंत एन. बालकृष्ण और एक अन्य बनाम जॉर्ज फर्नांडीस

& अन्य, (1969) 3 एससीसी 238: [ 1969 ] 3 एससीआर 603; पी. वी.

नरसिम्हा राव बनाम। राज्य (1998) 4 एससीसी 626: [ 1998 ] 2

एससीआर 870; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम दूरसंचार

भारतीय विनियामक प्राधिकरण और अन्य (2014) 3 एससीसी

222 [ 2013 ] 12 एससीआर 999; सम्राट बनाम। शिबनाथ बनर्जी

( 1944-45 ) 71 आई. ए. 241: AIR 1945 PC 156; बिहार राज्य

वी. परियोजना उच्च विद्या, शिक्षा संघ (2006) 2 एस. सी. सी.

545 [ 2006 ] 1 एससीआर 14; भुवन मोहन पटनायक और

अन्य वी। आंध्र प्रदेश राज्य (1975) 3 एससीसी 185:

[ 1975 ] 2 एस. सी. आर. 24; जम्मू और कश्मीर राज्य बनाम। लखविंदर कुमार

( 2013 ) 6 एससीसी 333: [ 2013 ] 2 एस. सी. आर. 1070; वी. टी. खानजोद वी. भारतीय रिजर्व बैंक (1982) 2 एससीसी 7: [ 1982 ] 3

एससीआर 411; बीएसएनएल बनाम ट्राई (2014) 3 एससीसी 90; अफजल उल्ला

वी. उत्तर प्रदेश राज्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 264: [ 1964 ] एससीआर 991 -

संदर्भित किया गया।

जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारतीय संघ (2007) 13 एससीसी 673 [2007] 12 एससीआर 136; कृष्णमूर्ति बनाम।

शिवकुमार और अन्य (2015) 3 एस. सी. सी. 467: [ 2015 ] 4 एस. सी. आर. 987 पर भरोसा किया। -

मामला कानून संदर्भ

[ 1969 ] 3 एससीआर 603

संदर्भित किया गया है

पैरा 15 लोक प्रहरी, सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत का संघ

[ 2002 ] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पै

रा 23

[ 1998 ] 2 एससीआर 870

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[ 1963 ] एससीआर 721

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[ 2013 ] 12 एससीआर 999

संदर्भित किया गया है

पै

रा 39

[ 2007 ] 12 एससीआर 136

उस पर भरोसा करें

पै

रा 41

[ 2007 ] 1 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पै

रा 43

[ 2006 ] 1 एससीआर 14

संदर्भित किया गया है

पै

रा 50

[ 1975 ] 2 एससीआर 24

पै

रा 50

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

एयर 1945 पीसी 156

पै

रा 50

[ 2013 ] 2 एससीआर 1070

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

[ 1982 ] 3 एससीआर 411

पै

रा 51

संदर्भित

को

[ 1964 ] एससीआर 991

संदर्भित किया गया है

पै

रा 51

( 2003 ) 4 एस. सी. सी. 399

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[ 2015 ] 4 एससीआर 987

उस पर भरोसा करें

पै

रा 63

नागरिक मूल न्यायनिर्णय: लिखित याचिका (सिविल) सं।

784 2015 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

के. के. वेणुगोपाल, एजी, पी. एस. नरसिम्हा, ए. एस. जी., के. राधाकृष्णन,

सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता, एस. एस. शुक्ला (व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता), सुश्री कामिनी जायसवाल, सुश्री रानी मिश्रा, जतिंदरपाल सिंह, सुश्री श्रुति दत्त, सुश्री विमला सिन्हा, सुश्री सुषमा मनचंदा, तुफैल ए. खान, बी. वी. बलराम दास, मेरुसागर सामंतरे, सुश्री माधवी दीवान, सुश्री लिंगनेवा, सुश्री विदुषी, अंकुर तलवार, मुकेश कुमार मारोरिया, श्रीमती अनिल कटियार, बी. कृष्ण प्रसाद, मोहित डी. राम, अधिवक्ता।, उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

चेलामेश्वर, जे. 1. याचिकाकर्ता एक पंजीकृत सोसायटी है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत। याचिका में कहा गया है कि सोसायटी के अधिकांश सदस्य सेवानिवृत्त सिविल सेवक हैं। अतीत में, उनमें से कुछ ने महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर कार्य किया है और इसलिए, उनके पास आवश्यक अधिकार हैं। इस देश के लोकतंत्र के लिए उनकी चिंता की वास्तविकता, हमारी राय में, किसी भी संदेह से परे है।

2. एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं है।

लोकतंत्र। चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारों और दायित्वों ने लोकतांत्रिक नागरिक समाजों और उनके विधायी [2018] 2 एस. सी. आर. का ध्यान आकर्षित किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. जब हमारा संविधान अपनाया गया था, तो संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि चुनावी प्रक्रिया से संबंधित कुछ बुनियादी मानदंड, यानी मतदान का अधिकार या विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार। संविधान द्वारा स्थापित निकायों को संविधान में ही लिखा जाना आवश्यक है। हमारे संविधान में, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव, राष्ट्रपति की सदस्यता का प्रावधान किया गया था।

संसद, जिसमें दो सदन, 'लोकसभा' और 'राज्यसभा' शामिल हैं; और विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों की सदस्यता, जिनमें से कुछ

वे एक सदनीय और कुछ द्व सदनीय हैं। अनुच्छेद 324 2 के तहत ऐसे चुनावों के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी।

1 स्थानीय निकाय-संविधान का भाग IX, जिसमें चुनाव निकायों सहित स्थानीय निकायों से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, संविधान (73 वां संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा पेश किया गया। 2 अनुच्छेद 324। निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। - ( 1 ) संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए और इस संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने और उनके संचालन का पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में चुनाव आयोग के रूप में संदर्भित किया गया है।

( 2 ) चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और इतनी संख्या में अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, राष्ट्रपति समय-समय पर निर्धारित करेंगे और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, संसद द्वारा उस संबंध में बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ( 3 ) जब कोई अन्य चुनाव आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

( 4 ) लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक आम चुनाव से पहले, और पहले आम चुनाव से पहले और उसके बाद ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के प्रत्येक द्विवार्षिक चुनाव से पहले, राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श के बाद भी ऐसी नियुक्ति कर सकता है -

( 5 ) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन, चुनाव आयुक्तों और क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कार्यकाल ऐसे होंगे जो राष्ट्रपति नियम द्वारा निर्धारित करे: बशर्ते कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से उच्चतम न्यायालय और लोक प्रहरी के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों के अलावा उसके पद से नहीं हटाया जाएगा।

4. उपर्युक्त में से प्रत्येक के लिए चुनावों के संदर्भ में

निकाय या कार्यालय, संविधान मतदान के अधिकार, चुनाव लड़ने के अधिकार और ऐसे अधिकारों पर सीमाओं के संबंध में कुछ बुनियादी मानदंड निर्धारित करता है। इस तरह के मानदंड इनमें से प्रत्येक कार्यालय या निकाय के संदर्भ में भिन्न होते हैं। देश की नागरिकता एक डिफ़ॉल्ट शर्त है 3 या तो मतदान के लिए या

उपर्युक्त निकायों में से किसी एक के लिए चुनाव लड़ना।

5. अनुच्छेद 3264 में कहा गया है कि सदन के लिए चुनाव

मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि किसी अन्य चुनाव आयुक्त या क्षेत्रीय आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा पद से नहीं हटाया जाएगा। ( 6 ) राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल, चुनाव आयोग द्वारा इस प्रकार अनुरोध किए जाने पर, चुनाव आयोग या किसी क्षेत्रीय आयुक्त को ऐसे कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जो खंड (1) द्वारा चुनाव आयोग को प्रदत्त कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

3 अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ। - ( 1 ) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह

( क) भारत का नागरिक है,
( ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और

( ग) लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है (2) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह किसी राज्य या सरकार के तहत या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद रखता है जो उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन है।

स्पष्टीकरण इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का कोई पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है अनुच्छेद 84। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। - एक व्यक्ति नहीं होगा

संसद में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य है जब तक कि वह (ए) भारत का नागरिक न हो और चुनाव द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष सदस्यता न ले ले।

तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करना;

अनुच्छेद 173। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। - कोई व्यक्ति किसी राज्य के विधानमंडल में किसी पद को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह (क) भारत का नागरिक न हो और चुनाव आयोग द्वारा उस संबंध में प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान न करे और उसमें हस्ताक्षर न करे।

4 अनुच्छेद 326। लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव-लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; अर्थात, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु 2 [अठारह वर्ष] से कम नहीं है, ऐसी तारीख को जो उचित विधानमंडल द्वारा या उसके तहत उस ओर से तय की जाए और अन्यथा इसके तहत अयोग्य नहीं है।

यह संविधान या समुचित विधानमंडल द्वारा निवास न होने, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध व्यवहार के आधार पर बनाई गई कोई भी विधि, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

राज्य के लोग और विधानसभाएँ वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जो कानून द्वारा निर्दिष्ट तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, वह ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा, जिसमें एक और शर्त होगी कि ऐसा अधिकार निम्नलिखित के तहत निर्धारित अयोग्यताओं के अधीन है -

संविधान, या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत। अनुच्छेद 326 उन आधारों के बारे में भी विशिष्ट है जिनके आधार पर उपयुक्त विधायिका द्वारा अयोग्यता निर्धारित की जा सकती है। वे गैर-निवास, मन की अस्वस्थता और अपराध या भ्रष्ट या अवैध प्रथाएं हैं। अधिकार।

किसी राज्य की राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में मतदान करना कुछ और योग्यताओं के अधीन है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के मामले में भी ऐसा ही है।

6. प्रत्येक व्यक्ति, जो चुनाव में मतदान करने का हकदार है

संसद की सदस्यता, स्वचालित रूप से संसद का सदस्य बनने का हकदार नहीं है। अनुच्छेद 84 (बी) किसी भी व्यक्ति को मांग करने के लिए निर्धारित करता है

लोक सभा (लोकसभा) का सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और राज्य परिषद (राज्यसभा) के मामले में आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, अनुच्छेद 173 (बी) विधानसभाओं और विधान परिषदों की सदस्यता के लिए समान न्यूनतम आयु आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। जबकि, प्रेसीडेंसी और वाइस प्रेसीडेंसी के लिए, अनुच्छेद 58 (1) (बी) 2 और 66 (3) (बी) 3 के तहत न्यूनतम आयु की आवश्यकता 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

7. संविधान में कुछ अयोग्यताएं भी निर्धारित की गई हैं -

उपर्युक्त निकायों में से किसी के लिए भी चुनाव लड़ना। अनुच्छेद 102 के तहत, एक व्यक्ति को न केवल चुने जाने के लिए बल्कि इसके लिए भी अयोग्य ठहराया जाता है।

विभिन्न आधारों पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बने रहना।

7 अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यताएँ। ( 1 ) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ( ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, 8 अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव। - ( 3 ) कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह

( ख) पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है; लोक प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

" अनुच्छेद 102। सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ

( 1 ) एक व्यक्ति के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, और के लिए

संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना
( क) यदि वह सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है -

भारत या किसी कार्यालय के अलावा किसी भी राज्य की सरकार संसद द्वारा कानून द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए;

( ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक द्वारा घोषित किया गया है

( घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त की है, या किसी के अधीन है।
किसी विदेशी के प्रति निष्ठा या पालन की स्वीकृति

राज्य;

संसद। ( 2 )
एक व्यक्ति को दोनों में से किसी एक का सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

संसद का सदन यदि वह दसवें के तहत अयोग्य है

अनुसूची "।

8. अनुच्छेद 191 9 समान अयोग्यताओं को निर्धारित करता है

राज्य विधानमंडलों की सदस्यता। संविधान का अनुच्छेद 58 (1) (सी) 1 0 और अनुच्छेद 66 (3) (सी) 1 1 राष्ट्रपति के संदर्भ में निर्धारित करता है और

9 अनुच्छेद 191। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ( 1 ) एक व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और होने के लिए

( क) यदि वह भारत सरकार या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के तहत लाभ का कोई पद रखता है, तो राज्य के विधानमंडल द्वारा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं करने के लिए कानून द्वारा घोषित पद के अलावा;

( बी) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है; (सी) यदि वह एक अविमुक्त दिवालिया है;

( ग) लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है। 11 1 1 अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का चुनाव। ( 3 ) कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ( ग) राज्य परिषद [2018] 2 एस. सी. आर. के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उन पदों के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि कोई व्यक्ति क्रमशः लोक सभा और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य न हो। एक आवश्यक निहितार्थ द्वारा, विभिन्न योग्यताओं और अयोग्यताओं के तहत निर्धारित

अनुच्छेद 84 (सी) और 173 (सी) संसद को क्रमशः संसद या राज्य के विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए अन्य योग्यताएं (कानून द्वारा या उसके तहत) निर्धारित करने के लिए अधिकृत करते हैं। 10. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 7212 और सूची II की प्रविष्टि 3713 विधायी प्राधिकरण के क्षेत्र हैं।

ऊपर उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों और संविधान के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 327 में इंगित कानून बनाना। 11. इस तरह की शक्ति का प्रयोग करते हुए, संसद ने विभिन्न कार्यालयों में चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं को विनियमित करने के लिए विभिन्न अधिनियम बनाए।

और पहले उल्लिखित निकाय। वर्तमान में, हम केवल दो अधिनियमों से संबंधित हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951 (इसके बाद 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम या 1951 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) जिसमें ऐसे प्रावधान हैं जो संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए चुनावी प्रक्रिया से विस्तृत रूप से संबंधित हैं। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए इस तथ्य पर ध्यान देना पर्याप्त है कि 1951 के आर. पी. अधिनियम में निम्नलिखित शामिल हैं -

संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अयोग्यता निर्धारित करने वाले भाग II के अध्याय III के विभिन्न प्रावधान। वे धारा 8,8ए, 9,9ए, 10 और 10ए हैं। भाग II के अध्याय IV में एक प्रावधान है जिसमें मतदान के लिए अयोग्यता निर्धारित की गई है, जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 326 के तहत संसद के अधिकार के लिए संदर्भित है।

12. 'अयोग्य' अभिव्यक्ति को आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 7 (बी) के तहत निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: 12 प्रविष्टि 72. संसद, राज्यों के विधानमंडलों और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव; चुनाव आयोग।

13 प्रविष्टि 37. संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के लिए चुनाव लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम।

" धारा 7. परिभाषाएँ। इस अध्याय में -

XXX

X

XX

XXX

XXX

किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद इस अध्याय के प्रावधान, और किसी अन्य आधार पर नहीं।

13. धारा 8 उन अयोग्यताओं से संबंधित है जो निम्नलिखित रूप में होती हैं -

उसके अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि और कारावास की सजा के अधिरोपण का परिणाम। हालाँकि, प्रत्येक उप-धारा के तहत अयोग्यता की अवधि दोषी की जेल से रिहाई के बाद से छह साल निर्धारित की गई है।

14. धारा 8ए घोषित करती है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट होने का दोषी पाया जाता है।

चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा अभ्यास करने वाले को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाने वाली छह साल से अधिक की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट प्रथाओं को परिभाषित करती है। इसमें दस भ्रष्ट प्रथाओं की गणना की गई है। परिभाषा के अनुसार

उनमें से प्रत्येक एक चुनाव में केवल एक "उम्मीदवार" या एक उम्मीदवार के "चुनाव एजेंट" या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार या उम्मीदवार के चुनाव एजेंट की सहमति से प्रतिबद्ध होने में सक्षम है।

14 उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 79 (बी) के तहत परिभाषित किया गया है-"उम्मीदवार" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चुनाव में उम्मीदवार के रूप में विधिवत नामित किया गया है या होने का दावा करता है।

हालाँकि, यह परिभाषा केवल भाग VI और VII के उद्देश्य के लिए है। चुनाव एजेंट को परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 40 में कहा गया है:

" चुनाव एजेंट। एक चुनाव में एक उम्मीदवार निर्धारित तरीके से अपने अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अपना चुनाव एजेंट नियुक्त कर सकता है और जब ऐसी कोई नियुक्ति की जाती है, तो नियुक्ति की सूचना में दी जाएगी - निर्वाचन अधिकारी के लिए निर्धारित तरीका "।

15 सामंत एन. बालकृष्ण और एक अन्य बनाम जॉर्ज फर्नांडीज और अन्य, (1969) 3 एस. सी. सी. 238

पैरा 25. यहाँ रुकते हुए, हम धारा 100 में भ्रष्ट प्रथाओं से संबंधित प्रावधानों को थोड़ा और बारीकी से देख सकते हैं। कई प्रकार की भ्रष्ट प्रथाएँ हैं। इन्हें अधिनियम की धारा 123 में परिभाषित किया गया है और हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन भ्रष्ट प्रथाओं को अलग से देखा जाता है कि उन्हें कौन करता है। प्रथम श्रेणी में उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई भ्रष्ट गतिविधियाँ शामिल हैं।

15. धारा 9 एक ऐसे व्यक्ति को अयोग्य ठहराती है जिसने भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के तहत पद संभाला हो।

भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति बेवफाई के लिए बर्खास्त किया गया। यह अयोग्यता इस तरह की बर्खास्तगी की तारीख से पांच साल तक चलती है। धारा 9 ए में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

संसद या राज्य विधानमंडल के लिए यदि वस्तुओं की आपूर्ति या सरकार द्वारा किए गए किसी कार्य के निष्पादन के लिए उपयुक्त सरकार के साथ "उसके द्वारा किया गया कोई अनुबंध" है। "उपयुक्त सरकार" अभिव्यक्ति को धारा 7 (ए) 1 6 के तहत परिभाषित किया गया है।

16. आर. पी. अधिनियम 1951 के भाग 5 के अध्याय 8 में निम्नलिखित शामिल हैं -

'चुनाव खर्च' से संबंधित प्रावधान। धारा 77 में कहा गया है कि चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अपने चुनाव एजेंटों के माध्यम से किए गए सभी खर्चों का एक अलग और सही लेखा रखेगा। इस तरह के विवरण व्यय से संबंधित होंगे।

ये, यदि स्थापित हो जाते हैं, तो बिना किसी और शर्त को पूरा किए चुनाव से बचें। फिर एक चुनाव एजेंट के अलावा एक अन्य एजेंट द्वारा की गई भ्रष्ट प्रथा है। यहाँ एक अतिरिक्त तथ्य को साबित करना होगा कि चुनाव का परिणाम भौतिक रूप से प्रभावित हुआ था। हम उसी बात को आसानी से समझने योग्य भाषा में रखने का प्रयास कर सकते हैं। याचिकाकर्ता स्वयं उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा एक भ्रष्ट प्रथा साबित कर सकता है, इस मामले में उसे यह स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है कि भ्रष्ट प्रथा के बिना चुनाव का परिणाम क्या होता। इस भाग में "कोई अन्य व्यक्ति" अभिव्यक्ति में एक चुनाव एजेंट के अलावा एक अन्य एजेंट शामिल होगा। चुनाव अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता के बारे में अनुभाग में बाद में एक विशेष प्रावधान से यह स्पष्ट है। तब कानून यह है: यदि याचिकाकर्ता उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वापस लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से भ्रष्ट व्यवहार साबित नहीं करता है, लेकिन एक भ्रष्ट एजेंट पर भरोसा करता है, तो उसे अतिरिक्त रूप से यह साबित करना होगा कि भ्रष्ट व्यवहार ने चुनाव के परिणाम को कैसे प्रभावित किया। जब तक वह उम्मीदवार या अपने चुनाव एजेंट की ओर से भ्रष्ट आचरण करने के लिए सहमति साबित नहीं करता है, उसे इस अतिरिक्त बोझ का सामना करना होगा। इस संदर्भ में अभिकर्ता की परिभाषा को धारा 123 (स्पष्टीकरण) से लिया जाना है जहां यह प्रावधान किया गया है कि एक अभिकर्ता में "एक चुनाव अभिकर्ता, एक मतदान अभिकर्ता और कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसने उम्मीदवार की सहमति से चुनाव के संबंध में एक अभिकर्ता के रूप में काम किया है।" इस व्याख्या में "एक चुनाव एजेंट" का उल्लेख इस प्रकार प्रतीत होता है -

अनावश्यक है क्योंकि एक चुनाव एजेंट अधिनियम की योजना में उम्मीदवार का अहंकार है और उसके कार्य उम्मीदवार के कार्य, सहमति या उम्मीदवार की ओर से कोई सहमति नहीं हैं।

16 धारा 7 (ए) "। उपयुक्त सरकार का अर्थ है संसद के किसी भी सदन, केंद्र सरकार के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए किसी भी अयोग्यता के संबंध में और किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए किसी भी अयोग्यता के संबंध में, राज्य सरकार; लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से।

उम्मीदवार के नामांकन की तारीख और चुनाव परिणाम की घोषणा के बीच। धारा 78 आदेश देती है कि प्रत्येक चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार जिला चुनाव अधिकारी के पास खाते की एक प्रति दर्ज कराएगा।

1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 77 के तहत आवश्यकतानुसार उनके द्वारा बनाए रखा गया। धारा 10ए में कहा गया है कि धारा 78 के अधिदेश का पालन करने में विफलता चूककर्ताओं को अयोग्य बनाती है।

17. 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (6) घोषित करती है कि

या धारा 77 के उल्लंघन में व्यय को प्राधिकृत करना भ्रष्ट अभ्यास।

18. चुनाव प्रक्रिया सभी लोकतांत्रिक रूपों की नींव है

सरकार। संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया अचूक नहीं हो सकती और न ही कोई भी चुनाव पूरी तरह से शुद्ध हो सकता है। इसलिए चुनाव को लेकर विवाद होना तय है।

19. इसलिए, संविधान का अनुच्छेद 329 (बी) निर्धारित करता है -

" अनुच्छेद 329। चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक। —

इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद

*****

*****

** **

*****

*****

( (ख) संसद के किसी भी सदन या सदन के लिए कोई चुनाव नहीं। किसी राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन बुलाया जाएगा।

ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत एक चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न

और ऐसी रीति से जो किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित की जाए। उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाया गया।

जबकि अनुच्छेद चुनाव याचिकाओं द्वारा चुनावी विवादों के समाधान पर विचार करता है, यह चुनाव के समापन से पहले ऐसे विवादों की जांच को प्रतिबंधित करता है, जाहिर है कि यह सुनिश्चित करने के लिए

कि चुनावी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित न हो, जबकि यह प्रगति पर है; अनिवार्य रूप से व्यवस्था और अराजकता के बीच एक संतुलन।

20. अनुच्छेद 329 (बी) के आदेश के अनुसार, प्रावधान हैं:

1951 के आर. पी. अधिनियम के भाग VI में बनाया गया जो चुनावों के संबंध में विवादों से संबंधित है। धारा 100 1 विभिन्न आधारों को निर्धारित करती है जिन पर एक चुनाव होता है।

1 7 धारा 100। चुनाव को अमान्य घोषित करने के लिए आधार। — ( 1 ) उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन, यदि उच्च न्यायालय की राय है।

( क) कि अपने चुनाव की तारीख को एक लौटाया गया उम्मीदवार संविधान या इस अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम, 1963 (1963 का 20) के तहत सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं था, या अयोग्य था; या ( ख) कि कोई भी भ्रष्ट आचरण एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक लौटे उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किया गया है; या [2018] 2 एस. सी. आर.

वापस लौटे उम्मीदवार को अमान्य घोषित किया जाएगा। इस तरह की घोषणा स्वचालित रूप से किसी भी तथ्य के प्रमाण पर होती है धारा 100 (1) (ए), (बी) और (सी) में उल्लिखित आधार। इसका एक आधार यह है कि यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लौटे उम्मीदवार ने प्रत्यक्ष रूप से या अपने 'चुनाव एजेंटों' के माध्यम से भ्रष्ट आचरण किया है।

18

21. जहाँ तक उप-धारा 1 (डी) में निर्दिष्ट आधार है, वापस लौटे उम्मीदवार के चुनाव को केवल तभी अमान्य घोषित किया जा सकता है जब यह स्थापित हो जाए।

कि (i) उसमें विनिर्दिष्ट घटनाओं में से कोई एक घटना हुई थी और (ii) ऐसी घटना ने चुनाव के परिणाम को भौतिक रूप से प्रभावित किया जहां तक कि यह लौटे उम्मीदवार से संबंधित है।

22. के कार्यकरण के पहले 50 वर्षों का अनुभव

( ग) कि कोई नामांकन अनुचित रूप से अस्वीकार कर दिया गया है; या ( घ) कि चुनाव का परिणाम, जहाँ तक एक लौटे हुए उम्मीदवार की बात है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है।

( (i) अनुचित स्वीकृति या किसी नामांकन द्वारा, या
( (ii) वापस लौटे उम्मीदवार के हित में किए गए किसी भी भ्रष्ट आचरण द्वारा।

अपने चुनाव अभिकर्ता के अलावा किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा, या

( (iii) किसी भी वोट या स्वागत के अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति द्वारा।

किसी भी मत का जो शून्य है, या

( (iv) संविधान या इस अधिनियम के प्रावधानों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम या आदेश का पालन न करने पर, उच्च न्यायालय लौटने वाले उम्मीदवार के चुनाव को अमान्य घोषित करेगा, यदि उच्च न्यायालय की राय में, एक लौटने वाला उम्मीदवार अपने चुनाव के अलावा किसी अन्य एजेंट द्वारा दोषी ठहराया गया है।

एजेंट, किसी भी भ्रष्ट प्रथा का लेकिन उच्च न्यायालय संतुष्ट है

( क) कि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट द्वारा चुनाव में ऐसी कोई भ्रष्ट गतिविधि नहीं की गई थी, और ऐसी हर भ्रष्ट गतिविधि उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति के बिना आदेशों के विपरीत की गई थी;
( ग) कि उम्मीदवार और उसके चुनाव अभिकर्ता ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण को रोकने के लिए सभी उचित साधन अपनाए; और

( घ) कि अन्य सभी मामलों में चुनाव उम्मीदवार या उसके किसी भी एजेंट की ओर से किसी भी भ्रष्टाचार से मुक्त था, तब उच्च न्यायालय निर्णय ले सकता है कि लौटे उम्मीदवार का चुनाव अमान्य नहीं है।

18 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 100 (1) (बी) 1 9 देखें कि: भारत संघ बनाम। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर, (2002) 5 एस. सी. सी.

पैरा 2. यह इंगित किया गया है कि विधि आयोग ने अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोकने की सिफारिश की है यदि आरोप लोक प्रहरी के हैं।

लोकतंत्र के काम करने में कमियां और उन चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता।

23. भारत संघ बनाम में यह न्यायालय। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड अदर, (2002) 5 एस. सी. सी. 294, जिसे इसके बाद "ए. डी. आर". के रूप में संदर्भित किया जाता है।

केस "ने राय दी कि" मतदाता मतदान करके बोलता है या व्यक्त करता है "और ऐसा भाषण अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है। इस न्यायालय ने उपरोक्त रिपोर्टों और अन्य सामग्रियों सहित मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद कहा कि अपने मौलिक अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए, मतदाता को चुनाव में उम्मीदवारों के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। यह

कुछ अपराधों के संबंध में अदालत द्वारा उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और आपराधिक मामलों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए चुनाव लड़ने की मांग करने वाले उम्मीदवार की आवश्यकता है।

उसके खिलाफ कोई मामला, यदि कोई हो, लंबित है। इसने यह भी सुझाव दिया है कि उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी और आश्रित संबंधों के स्वामित्व वाली संपत्ति के सही और सही विवरण का भी खुलासा किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय की वोहरा समिति की रिपोर्ट के पैरा 6.2 का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है:

" 6.2 . निदेशक सी. बी. आई. की तरह, डी. आई. बी. ने यह भी कहा है कि देश में आपराधिक गिरोहों, सशस्त्र सेनाओं, मादक पदार्थ माफियाओं, तस्करी गिरोहों, मादक पदार्थ तस्करों और आर्थिक लॉबियों का तेजी से प्रसार और विकास हुआ है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय स्तर पर नौकरशाहों/सरकारी अधिकारियों, राजनेताओं, मीडियाकर्मियों और गैर-राज्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से स्थित व्यक्तियों के साथ संपर्क का एक व्यापक नेटवर्क विकसित किया है। इनमें से कुछ सिंडिकेट्स के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी हैं, जिनमें विदेशी खुफिया एजेंसियां भी शामिल हैं। इस संदर्भ में डी. आई. बी. ने निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं:

( i) बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में, इन गिरोहों को स्थानीय स्तर के राजनेताओं का संरक्षण प्राप्त है, जो पार्टी लाइनों से परे हैं और सरकारी अधिकारियों का संरक्षण। कुछ राजनीतिक नेता बन जाते हैं

इन गिरोहों, सशस्त्र सेनाओं के नेता और वर्षों से खुद को स्थानीय निकायों, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद के लिए चुने जाते हैं। नतीजतन, ऐसे तत्वों ने प्रशासन के सुचारू संचालन और आम आदमी के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को गंभीर रूप से खतरे में डालते हुए काफी राजनीतिक प्रभाव हासिल कर लिया है, जिससे लोगों में निराशा और अलगाव की भावना पैदा हो रही है।

( ii) अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखने वाले बड़े तस्करी सिंडिकेट ने विभिन्न आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों को फैलाया है और संक्रमित किया है, जिसमें हवाला लेनदेन, काले धन का संचलन

और एक दुष्चक्रपूर्ण समानांतर अर्थव्यवस्था के संचालन शामिल हैं, जिससे देश के आर्थिक ताने-बाने को गंभीर नुकसान हुआ है। इन सिंडिकेट्स ने पर्याप्त वित्तीय और बाहुबल और सामाजिक सम्मान हासिल किया है और सफलतापूर्वक समाज को भ्रष्ट कर दिया है।

सभी स्तरों पर सरकारी तंत्र और एजेंसियों की जांच और मुकदमा चलाने के कार्य को बेहद कठिन बनाने के लिए पर्याप्त प्रभाव पैदा करना; न्यायिक प्रणाली के सदस्य भी माफिया के चंगुल से नहीं बचे हैं। "(2018) 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय ने ऐसी जानकारी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान की। वे.

श्री इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने 1998 में चुनावों के राज्य वित्त पोषण के सवाल पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें चुनावी प्रक्रिया में तत्काल बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस न्यायालय ने राय दी कि चूंकि संसद द्वारा बनाए गए कानून में चुनाव में उम्मीदवारों को संसद या राज्य के विधायी निकायों को खुलासा करने के लिए मजबूर करने वाले उचित प्रावधान नहीं हैं

इस न्यायालय ने चुनाव में उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों के बारे में जानकारी सहित विभिन्न तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया और उनके संबंधित पति/पत्नी और आश्रित (सामूहिक रूप से इसके बाद सुविधा के लिए ASSOCIATES के रूप में संदर्भित):

" 48. चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रत्येक उम्मीदवार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी करके शपथ पत्र पर जानकारी मांगे।

उसके नामांकन पत्र का आवश्यक भाग, उसमें प्रस्तुत करना, उसके संबंध में निम्नलिखित पहलुओं पर जानकारी उम्मीदवारी:

( 1 ) क्या उम्मीदवार को दोषी ठहराया गया है/बरी किया गया है/रिहा किया गया है अतीत में किसी आपराधिक अपराध का-यदि कोई हो, चाहे वह

कारावास या जुर्माने की सजा।

( 2 ) नामांकन दाखिल करने के छह महीने पहले, क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले में किसी अपराध का आरोपी है

दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय, और जिसमें आरोप तय किया जाता है या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है। यदि ऐसा है तो उसका विवरण दें।

( 3 ) एक उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति (अचल, चल, बैंक शेष, आदि)।

( 4 ) देनदारियाँ, यदि कोई हों, विशेष रूप से चाहे किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी बकाया का कोई अतिदेय हो।

( 5 ) उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता "। लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

24. उक्त निर्णय के बाद, संसद ने संशोधन करने का फैसला किया

1951 का आर. पी. अधिनियम धारा 33 ए लागू करके। संसद ने चुनाव में उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ सीमित जानकारी का खुलासा करने का प्रावधान किया, लेकिन उपरोक्त निर्णय के इस न्यायालय (पैरा 48 में) द्वारा निर्देशित सभी जानकारी का नहीं।

दूसरी ओर, संसद ने एक और घोषणा की

धारा 33 ख।

" 33 बी उम्मीदवार केवल अधिनियम के तहत जानकारी प्रदान करने के लिए

और नियम-किसी भी में निहित कुछ भी के बावजूद

किसी न्यायालय का निर्णय, डिक्री या आदेश या कोई निर्देश, आदेश या

चुनाव आयोग द्वारा जारी कोई अन्य निर्देश, नहीं उम्मीदवार इस तरह का कोई भी खुलासा या प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

उनके चुनाव के संबंध में जानकारी, जिसे इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत प्रकट या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है

इसके तहत "।

दूसरे शब्दों में, संसद ने घोषणा की कि अन्य जानकारी

भारत संघ v में जारी निर्देशों के आधार पर उम्मीदवार द्वारा घोषित किया जाना आवश्यक है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सुधार और एक अन्य, (2002) 5 एस. सी. सी. 294 दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

25. उक्त प्रावधान की संवैधानिकता इसके लिए गिर गई

पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में इस न्यायालय के समक्ष विचार

( पी. यू. सी. एल.) और एक अन्य वी. भारत संघ और अन्य, (2003) 4 एस. सी. सी. 399, जिसे इसके बाद "पी. यू. सी. एल. मामला" के रूप में संदर्भित किया गया है। इस न्यायालय ने धारा 33 बी को संसद की विधायी क्षमता से परे माना। इस न्यायालय ने 2 1 दर्ज किया कि धारा 33 ए एडीआर मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रही है।

26. जो भी हो, धारा 33 ए अनिवार्य करती है कि एक उम्मीदवार

नामांकन दाखिल करते समय निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र 2 2 में उम्मीदवार द्वारा शपथ लिया गया एक शपथ पत्र भी देना आवश्यक है।

21 " 78. ..... संशोधित अधिनियम में इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश पूरी तरह से शामिल नहीं हैं। इसके विपरीत, यह प्रावधान है कि एक उम्मीदवार इस न्यायालय द्वारा निर्देशित कुछ जानकारी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं होगा। 22 धारा 33क। सूचना का अधिकार। — ( 2 ) अपने प्रस्तावक का उम्मीदवार, जैसा भी मामला हो, धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपते समय,

उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट जानकारी को निर्धारित प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र देकर उसे प्रदान करें।

उक्त जनादेश के परिणामस्वरूप, नियम 4ए 23 को चुनाव संचालन नियम, 1961 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित) में जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि फॉर्म No.26 में एक हलफनामा दाखिल करने की आवश्यकता है। फॉर्म, जैसा कि मूल रूप से नियम 4ए डब्ल्यू. ई. एफ. 3.9.2002 के तहत निर्धारित किया गया था, प्रतिस्थापित किया गया था। डब्ल्यू. ई. एफ. 1.8.2012। प्रपत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिकारियों द्वारा उम्मीदवार को दिए गए स्थायी खाता संख्या (पैन) के बारे में जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके लिए ए. एस. एस. ओ. सी. आई. ए. टी. ई. एस. की परिसंपत्तियों (चल और अचल दोनों) के विवरण की भी आवश्यकता होती है। शपथ पत्र में दिए जाने वाले अन्य विवरण वर्तमान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकते हैं।

मामला।

27. याचिकाकर्ता का मानना है कि कुछ और कदम उठाने की आवश्यकता है

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए लिया जाना। याचिकाकर्ता के अनुसार, संसद और राज्य विधानसभाओं के कुछ सदस्यों (जिन्हें इसके बाद "कानून निर्माता" कहा जाता है) और उनकी संस्थाओं की संपत्ति में वृद्धि हुई। आय के उनके ज्ञात स्रोतों के अनुपात से असमान रूप से (इसके बाद एसेट्स के अध्ययन के रूप में संदर्भित)। याचिकाकर्ता ने किया

संबंधित विधायी निकायों में पहली बार चुने जाने के बाद उनकी संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई। याचिकाकर्ता का मानना है कि आय के स्रोतों की समय-समय पर जांच करने की आवश्यकता है। विधायी और उनके संघ यह पता लगाने के लिए कि क्या परिसंपत्तियों का कोई अंतर्ग्रहण है। 30 जून 2015 को सीबीडीटी के अध्यक्ष को दिए गए अभ्यावेदन में याचिकाकर्ता ने कहा,

नतीजतन, "हम लोग" की कीमत पर राजनेताओं की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। जाहिर है, व्यवस्था और शासन में कोई सुधार संभव नहीं है जब तक कि चुनाव जीतने में धन शक्ति की भूमिका पर अंकुश लगाया जाता है और जनता

ऐसे प्रतिनिधि जो धन जमा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं किताब में लाया जाता है।

23 नियम 4ए। नामांकन के समय दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्रपत्र कागज। उम्मीदवार या उसका प्रस्तावक, जैसा भी मामला हो, निर्वाचन अधिकारी को अधिनियम की धारा 33 की उप-धारा (1) के तहत नामांकन पत्र देने के समय, उसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या फॉर्म 26 में नोटरी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र भी देगा।

प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

..... पुनः निर्वाचित सांसदों और विधायकों की सूची जिनकी संपत्ति है -

पिछले के बाद पाँच गुना से अधिक (500%) बढ़ा ए. डी. आर. द्वारा प्रदत्त चुनाव इसके साथ संलग्न है। विस्तृत जानकारी दी।

आश्रित फार्म 26 में भरे गए शपथ पत्र में उपलब्ध हैं। पिछले चुनाव के समय नामांकन पत्र। ये

शपथ पत्र चुनाव की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

भारत आयोग के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्यों। केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या

परिसंपत्तियों में वृद्धि आय में वृद्धि के अनुपात में होती है

मध्यवर्ती अवधि में ज्ञात स्रोतों से। सीबीडीटी

कानून के तहत उन पर फेंक दिया। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद उनके लिए एक सबक के रूप में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सकती है

और दूसरों को सार्वजनिक सेवा में परिवर्तन करने से रोकने के लिए निजी उद्यम में "।

28. इसी पृष्ठभूमि में तुरंत याचिका दायर की गई

एन याचिकाकर्ता का आरोप है -

" उन पर कार्रवाई करने के लिए संसद की अनिच्छा को देखते हुए

18 ऊपर निर्दिष्ट वर्ष पुराना संकल्प और इसकी विफलता

लोकतांत्रिक सुधार संगठन (ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 2112) पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) (ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 2363),

पुनरुत्थान भारत बनाम भारत का चुनाव आयोग और एक अन्य ( ए. आई. आर. 2014 एस. सी. 344) और कृष्णमूर्ति बनाम शिवकुमार (ए. आई. आर.)

2015 एस. सी. 1921) इस संबंध में पुनर्स्थापना और रखरखाव के लिए

के अनुसार हमारे उच्चतम विधायी निकायों की शुद्धता

संविधान के संस्थापकों के इरादे और

प्रतिनिधित्व के निर्माताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंता लोक अधिनियम, 1951 इस माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप बन गया है।

इस माननीय के निम्नलिखित अवलोकन के संदर्भ में आवश्यक है

विनीत नारायण के मामले में न्यायालय, (1998) 1 एस. सी. सी. 226 (पैरा 49)।

विभिन्न राहतों के लिए इस अदालत का दरवाजा खटखटाने को सही ठहराने के लिए

रिट याचिका में। वे इस प्रकार हैं:

" 1. आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट ( 1 ) उत्तरदाताओं के लिए नहीं। 1 और 2 निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 4ए के तहत निर्धारित प्रपत्र 26 में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 38 में दिए गए सुझाव को ध्यान में रखते हुए।

डब्ल्यूपी; ( 2 ) उत्तरदाता नं. 1 में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति और उम्मीदवारों की अयोग्यता का प्रावधान करता है।

सांसद/विधायक/एमएलसी जानबूझकर गलत जानकारी दे रहे हैं।

नामांकन दाखिल करते समय प्रपत्र 26 में शपथ पत्र में उनकी संपत्ति के बारे में;

( 3 ) उत्तरदाताओं के लिए नहीं। 3 5 से

डब्ल्यूपी के लिए अनुलग्नक पी6, ( (ii) इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी तंत्र है।

सांसद/विधायक/एमएलसी का सम्मान जिनकी संपत्ति में वृद्धि हुई है।

अगले चुनाव तक 100% से अधिक,

( 3. सांसद/विधायक/एमएलसी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को एक साल के भीतर निपटाना सुनिश्चित करने के लिए तेजी से निपटाना।

2. घोषणा करें कि एक उम्मीदवार द्वारा अपनी, जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा न करना

अनुचित प्रभाव और इस तरह, भ्रष्टाचार और ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1921 में रिपोर्ट किए गए निर्णय के संदर्भ में आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (बी) के तहत अमान्य घोषित किया जा सकता है।

3. हिंदू अविभाजित परिवार/न्यास/साझेदारी फर्म (ओं)/निजी कंपनी (कम्पनियों) द्वारा उपयुक्त सरकार और किसी भी सार्वजनिक कंपनी के साथ अनुबंधों को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 9-ए में संशोधन करने पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों को अनिवार्य रूप से एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

जीवनसाथी और आश्रितों का हिस्सा या ब्याज होता है।

4. उत्तरदाताओं को अनिवार्य रूप से एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना कि धारा 9-ए में संशोधन लंबित है अधिनियम, उम्मीदवार, उसके जीवनसाथी और आश्रितों द्वारा सीधे या हिंदू अविभाजित परिवार/न्यास/साझेदारी द्वारा उपयुक्त सरकार और किसी भी सार्वजनिक कंपनी के साथ अनुबंधों के बारे में जानकारी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से।

फर्म (ओं)/निजी कंपनी (कंपनी) जिसमें उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी और आश्रितों का हिस्सा या हित भी होगा

नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म 26 में हलफनामे में प्रदान किया गया है।

5. आई. ए. 8/2016 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि को जोड़ने के लिए रिट याचिका में संशोधन किया जाए

निम्नलिखित प्रार्थनाएँ: नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म 26 के अनुसार

केवल संभावित अयोग्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है

धारा 8 में उल्लिखित आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि का आधार

1951 के आर. पी. अधिनियम में, इसके बारे में जानकारी नहीं है धारा 8-ए, 9,9 ए, 10 और 10-ए में प्रावधान

उक्त अधिनियम के अध्याय III में अयोग्यता जो

चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य उम्मीदवार। इसलिए याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है

कि प्रपत्र 26 में निम्नलिखित प्रावधान करने के लिए और संशोधन किया जा सकता है:

जानकारी

क्या उम्मीदवार को भ्रष्ट होने का दोषी पाया गया था

आई.

1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 99 के तहत अभ्यास करना? यदि हां, तो धारा 8 के तहत राष्ट्रपति का निर्णय

II.

उसकी अयोग्यता के प्रश्न पर अधिनियम का ए (3),

निर्णय की तारीख के साथ।

चाहे उम्मीदवार को भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्त किया गया हो या

III.

के तहत एक पद धारण करते समय बेवफाई के लिए

भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार?

यदि हां, तो प्रमाणपत्र के अनुसार इस तरह की बर्खास्तगी का निर्णय

IV.

अधिनियम की धारा 9 के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया। चाहे उम्मीदवार प्रबंध अभिकर्ता हो, प्रबंधक हो या

वी.

(सहकारी समिति के अलावा) किसी भी कंपनी या निगम का सचिव जिसकी राजधानी में उपयुक्त सरकार के पास कम से कम पच्चीस सदस्य हों।

प्रतिशत हिस्सेदारी?

VI.

क्या उम्मीदवार ने चुनाव का लेखा-जोखा दाखिल किया है समय के भीतर और उसके द्वारा अपेक्षित तरीके से पिछले चुनाव के संबंध में खर्च या

1951 के आर. पी. अधिनियम के तहत?

29. दूसरे प्रतिवादी [भारत निर्वाचन आयोग (ई. सी. आई.)] ने याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन करते हुए एक हलफनामा दायर किया, जहां तक उम्मीदवारों को खुलासा करने के लिए बाध्य करने की आवश्यकता का संबंध है।आय आदि।

8 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" पैरा 3. चूँकि पी. आई. एल. के साथ की गई प्रार्थनाएँ प्रतिकूल नहीं हैं, इसलिए उत्तरदाता उत्तरदाता संख्या 2-चुनाव

भारतीय आयोग (ई. सी. आई.) याचिकाकर्ता संगठन द्वारा समर्थित उद्देश्य का समर्थन करता है, जो (i) स्वस्थ लोकतंत्र, (ii) सहभागी लोकतंत्र के लिए समान अवसर के क्षेत्र को आगे बढ़ाने और (iii) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की दिशा में एक कदम आगे है। द.

ई. सी. आई. प्रार्थना संख्या 1 का समर्थन करता है क्योंकि उसने पहले ही विधि और न्याय मंत्रालय को पत्र संख्या 1 के माध्यम से उम्मीदवार और जीवनसाथी की आय के स्रोत को शामिल करने के लिए फॉर्म 26 में संशोधन करने के लिए लिखा है। 3 / 4 / ईसीआई/एलईटी/एफयूजेसी/जेयूडी/एसडीआर/वीओएल-आई/2016 दिनांक 07.09.2016।

वास्तव में याचिकाकर्ता और चुनाव आयोग दोनों का मानना है कि यह औजियन अस्तबल को साफ करने का समय है।

30. न्यायविदों की संपत्तियों का अधिग्रहण और

उनका संगठन निश्चित रूप से एक ऐसा मामला है जो किसी भी सही मायने में लोकतांत्रिक समाज के नागरिकों और मतदाताओं को सतर्क कर सकता है। इस तरह की घटना एक असफल लोकतंत्र की शुरुआत का एक निश्चित संकेतक है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह अनिवार्य रूप से लोकतंत्र के विनाश की ओर ले जाएगा और रास्ता साफ करेगा।

अब तक समस्या पर कोई ध्यान दिया। ए. डी. आर. मामले में इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि कुछ लोकतांत्रिक देशों में कानून मौजूद हैं जो राज्य के 24 विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को समय-समय पर वित्तीय प्रकटीकरण विवरण देने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन इस अदालत ने इस संबंध में आगे कोई निर्देश जारी नहीं किया। इसलिए वर्तमान रिट याचिका। 31. किसी भी व्यक्ति के हाथों में धन का अनुचित संचय समाज के सामान्य कल्याण के लिए अनुकूल नहीं होगा। यह राजनीतिक विश्वास है जो संविधान की प्रस्तावना की घोषणा में अंतर्निहित है।

संविधान कि भारत को एक समाजवादी गणराज्य होना चाहिए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 में घोषणा की गई है कि राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण वितरित किया जाए ताकि आम भलाई का सर्वोत्तम लाभ हो और यह गारंटी दी जा सके कि आर्थिक प्रणाली के परिणामस्वरूप

24 संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक कानून बनाया जिसे सरकारी अधिनियम, 1978 में नैतिकता के रूप में जाना जाता है जिसे 1989 में और संशोधित किया गया था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्यों,

कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नैतिकता नियमावली "इंगित करती है कि इस तरह के प्रकटीकरण प्रावधान" हितों के संभावित संघर्षों की निगरानी और उन्हें रोकने "के लिए अधिनियमित किए गए थे।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

सामान्य हानि के लिए धन और उत्पादन के साधनों का केंद्रीकरण। हमारी राय में, इस तरह की घोषणाओं में यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता होती है कि

विधायक और संघ सदस्य द्वारा प्रदत्त अपनी संवैधानिक स्थिति का अनुचित लाभ नहीं उठाते हैं।

न्यायपालिका न्यायाधीश को राज्य की शक्ति तक पहुँचने में सक्षम बनाती है। निर्वाचित लोगों के हाथों में धन का संचय बिना किसी ज्ञात या आय के संदिग्ध स्रोतों के लोगों के प्रतिनिधियों ने कानून के शासन को प्रतिस्थापित करने वाले माफिया शासन का मार्ग प्रशस्त किया है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता और दूसरा प्रतिवादी दोनों समान हैं। दूसरे प्रतिवादी ने अपने काउंटर में कहा:

" पैरा 4. चुनावों में धन शक्ति की बढ़ती भूमिका बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है और यह उन विकृतियों में से एक है जो कभी-कभी चुनाव की प्रक्रिया को केवल प्रहसन में बदल देती है।

अन्य उम्मीदवारों की तुलना में स्पष्ट रूप से लाभप्रद स्थिति में वित्तीय संसाधनों वाले विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवार। द.

इस तरह के चुनाव का परिणाम लोगों की सही पसंद को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है। यह प्रणाली कभी-कभी योग्य और सक्षम व्यक्तियों को जनता का प्रतिनिधित्व करने के विशेषाधिकार से भी वंचित करती है।

32. यदि किसी विधायक या उसकी संस्थाओं की संपत्ति उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से कोई संबंध रखे बिना बढ़ती है, तो केवल एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विधायक के संवैधानिक कार्यालय का कुछ दुरुपयोग किया गया है। कुछ ऐसा जो होना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में मौलिक रूप से अस्वीकार्य और संवैधानिक सरकार के विरोधी। यह एक ऐसी घटना है जो कानून के शासन के सिद्धांत और संवैधानिक लोकतंत्र में सार्वजनिक पद के धारक से अपेक्षित सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत आचार संहिता के साथ असंगत है। क्रॉमवेल ने घोषणा की कि ऐसे लोग "सभी भलाई के दुश्मन" हैं।

सरकारें "। संविधान और संसद के निर्माता भी

ऐसा मानते थे। संविधान निर्माताओं ने उस विश्वास का पर्याप्त संकेत दिया जब उन्होंने अनुच्छेद 102 (1) (ए) और 191 (1) (ए) के तहत प्रावधान किया कि लाभ का कोई भी पद धारण करने से किसी व्यक्ति को या तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। एक लेजिस्लेटर बनें या बने रहें। यही वह विश्वास है जिसने संसद को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए कानून बनाने के लिए प्रेरित किया।

33. सबसे अपरिष्कृत प्रक्रिया जिसके द्वारा एक विधायक या उसके सहयोगी परिसंपत्तियों को जमा कर सकते हैं, वह है ऐसी गतिविधियों का सहारा लेना जिनके द्वारा

25 " हर बड़े भाग्य के पीछे एक बड़ा अपराध होता है "-बाल्ज़ैक [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 198826 (इसके बाद पीसी अधिनियम) के तहत अपराधों का गठन करता है। सोना उनका भगवान है!

किसी विधायक या उसकी संपत्ति में असामान्य वृद्धि

यह उन गतिविधियों का परिणाम हो सकता है जो अनुचित हैं, यानी ऐसी गतिविधियाँ जो पी. सी. अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अपराध का गठन कर सकती हैं या नहीं भी कर सकती हैं, लेकिन एक विधायक के कार्यालय की प्रकृति से बहने वाले बुनियादी संवैधानिक दायित्वों के साथ असंगत हैं। वे हैं। शिकायतों के निवारण के लिए लोगों द्वारा प्रतिनियुक्त। लेकिन वे शिकायत बन जाते हैं।

( i) भारी मात्रा में ऋण लेने के ज्ञात मामले हैं।

विधायिकाओं या उनके संघों द्वारा संस्थान या तो सीधे या निगमित निकायों के माध्यम से जो हैं

उनके द्वारा नियंत्रित; कई मामलों में एक कुख्यात तथ्य। ऐसे ऋण खाते उन वित्तीय संस्थानों के हाथों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 27 (एन. पी. ए.) बन जाते हैं जो ऋण अग्रिम देते हैं। यह समान है।

व्यापक रूप से प्रचलित घटना कि उधारकर्ता

( लेजिस्लेटर या यहां तक कि अन्य) जिनके खातों में है

26 पीसी अधिनियम की धारा 7।

" लोक सेवक कानूनी पारिश्रमिक के अलावा संतुष्टि ले रहा है एक आधिकारिक अधिनियम। - जो कोई भी, लोक सेवक होने के नाते या होने की उम्मीद करते हुए, किसी भी व्यक्ति से, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, कानूनी पारिश्रमिक के अलावा, किसी भी आधिकारिक कार्य को करने या करने से रोकने या दिखाने या दिखाने के उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में, किसी भी व्यक्ति से कोई भी संतुष्टि स्वीकार करता है या प्राप्त करने के लिए सहमत होता है या प्राप्त करने का प्रयास करता है।

केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संसद के साथ अपने आधिकारिक कार्यों के प्रयोग में किसी व्यक्ति का पक्ष लेने या उसे नापसंद करने या किसी व्यक्ति को कोई सेवा या अहित करने का प्रयास करने से मना करना।

किसी भी राज्य का विधानमंडल या किसी स्थानीय प्राधिकरण, निगम या सरकार के साथ

धारा 2 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कंपनी, या किसी लोक सेवक के साथ, चाहे वह नामित हो या अन्यथा, कारावास से दंडनीय होगी जो तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो सात साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। 27 धारा 2 (0) "गैर-निष्पादित परिसंपत्ति" से किसी उधारकर्ता की संपत्ति या खाता अभिप्रेत है, जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा उप-मानक, संदिग्ध या हानि परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

( क) यदि ऐसा बैंक या वित्तीय संस्थान किसी प्राधिकरण या निकाय द्वारा प्रशासित या विनियमित किया जाता है, जो उस समय लागू किसी कानून द्वारा स्थापित, गठित या नियुक्त किया गया है, तो ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा जारी संपत्ति वर्गीकरण से संबंधित निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार;

( ख) किसी अन्य मामले में, संबंधित निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार

रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए; "लोक प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

एन. पी. ए. बनने से बड़े पैमाने पर नए ऋण प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

समान या अन्य वित्तीय राशियों से

संस्थाएं।

( (ii) उच्च मौद्रिक मूल्य के अनुबंधों को सुरक्षित करना

सरकार (केंद्र या राज्य) या अन्य निगमित निकाय

जो सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, एक अन्य गतिविधि है।

जो कानून निर्माताओं और उनके संघों को सक्षम बनाता है

भारी संपत्ति अर्जित करना। यहाँ यह उल्लेख करने योग्य है कि

1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 7 (डी) 28 में शुरू में प्रावधान किया गया था कि
कोई भी व्यक्ति जिसका किसी अनुबंध में हिस्सा या हित है

माल की आपूर्ति या किसी कार्य के निष्पादन के लिए या

स्वयं या उसके माध्यम से किसी भी सेवा का निष्पादन

उसके लिए या उसके लिए विश्वास में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय

लाभ आदि अयोग्य हैं। तथापि, संशोधन द्वारा

1958 का अधिनियम 58, उक्त प्रावधान को हटा दिया गया और धारा 9A29 पेश किया गया था जो ASSOIATES को सक्षम बनाता है

कानून निर्माता या तो सीधे या किसी निकाय के माध्यम से

निगमों को ऐसे अनुबंध प्राप्त करने के लिए।

कानून निर्माताओं की व्यक्तिगत संपत्ति में असामान्य वृद्धि

और उनके संघों की उपरोक्त गतिविधियों के साथ-साथ जांच की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, यह भी जांचना आवश्यक है कि क्या इस तरह के लाभ विधायक के कार्यालय का अनुचित लाभ उठाकर प्राप्त किए गए थे। 28 धारा 7. संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए अयोग्यता-एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा -

( (a) XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

( ख) XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

( ग) XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

( घ) यदि, चाहे, स्वयं या किसी व्यक्ति या व्यक्ति के निकाय द्वारा उसके लिए विश्वास में हो।

या अपने लाभ के लिए या अपने खाते में, उसका किसी अनुबंध में कोई हिस्सा या ब्याज है।

माल की आपूर्ति के लिए, या किसी कार्य के निष्पादन या निष्पादन के लिए

उपयुक्त सरकार द्वारा की गई किसी भी सेवा के लिए।

( ई) XXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

( च) XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

29 धारा 9क। सरकारी अनुबंधों आदि के लिए अयोग्यता। - एक व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा यदि, और जब तक उसके द्वारा अपने व्यापार या व्यवसाय के दौरान उपयुक्त सरकार के साथ माल की आपूर्ति के लिए या उस सरकार द्वारा किए गए किसी भी कार्य के निष्पादन के लिए किया गया अनुबंध बना रहता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

34. सवाल यह है कि संविधान का अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जाए।

हाथ में समस्या के संदर्भ में अनुच्छेद 38 और 39 में निहित लक्षय।

संभावित समाधानः

( 1 ) ऐसे कानूनों का निर्माण जो इस तरह के अनुचित संचय को प्रदान करते हैं

धन एक अपराध है;

( 2 ) संपत्ति अर्जित करने वाले कानूनविदों को अयोग्य ठहराना

असंवैधानिक साधनों के माध्यम से, या के रूप में जारी रखने से

विधायी के रूप में फिर से निर्वाचित होने का प्रयास करना; और

( 3 ) इसे मतदाताओं के लिए ज्ञात करना ताकि वे ऐसा कर सकें

चुनें कि क्या ऐसे न्यायाधीशों को एक दिया जाना चाहिए

एक और अवसर।

उपरोक्त तीनों में से जो भी सबसे अच्छा समाधान हो।

संभावना है कि इसके लिए कानून निर्माताओं और उनके संघों की वित्तीय स्थिति के बारे में डेटा एकत्र करने और यह पता लगाने के लिए इसकी जांच करने की आवश्यकता है कि क्या उनके हाथों में धन का एक अस्वीकार्य संचय है।

अपराधः

35. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रावधान पहले से मौजूद हैं,

1988 ( पी. सी. अधिनियम) जिसमें विभिन्न गतिविधियों को अपराध के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। उदाहरण के लिएः पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) 3 0 के तहत, एक लोक सेवक का व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से, आर्थिक संसाधनों या संपत्ति पर कब्जा करना कदाचार है।

आय के ज्ञात स्रोतों से असमान। धारा 13 (2) 3 1 के तहत, 3ओ 13. लोक सेवक द्वारा आपराधिक दुराचार। — ( 1 ) एक लोक सेवक को आपराधिक दुराचार का अपराध करने के लिए कहा जाता है,

( क) यदि वह आदतन स्वीकार करता है या प्राप्त करता है या स्वीकार करने के लिए सहमत होता है या किसी व्यक्ति से अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा किसी अन्य संतुष्टि को एक उद्देश्य या पुरस्कार के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करता है जैसे कि धारा 7 में उल्लिखित है; या

XXXXXX

X

XXXX

XXXXXX

XXXXX

या (ङ) यदि वह या उसकी ओर से कोई व्यक्ति अपने पद की अवधि के दौरान किसी भी समय कब्जे में है या उसके कब्जे में है, जिसके लिए लोक सेवक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुपात से अधिक आर्थिक संसाधनों या संपत्ति का संतोषजनक लेखा नहीं दे सकता है। स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "आय के ज्ञात स्रोतों" का अर्थ है किसी वैध स्रोत से प्राप्त आय और ऐसी रसीद को किसी लोक सेवक को लागू होने वाले किसी कानून, नियमों या आदेश के प्रावधानों के अनुसार सूचित किया गया है।

31 धारा 13 (2)-कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक दुराचार करता है, उसे कारावास की सजा दी जाएगी जो चार साल से कम नहीं होगी, लेकिन जो दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

इस तरह का कदाचार एक ऐसा अपराध है जिसमें 10 साल तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने की भी सजा हो सकती है।

यह न्यायालय पहले ही अभिनिर्धारित कर चुका है कि एक न्यायाधीश सार्वजनिक होता है।

सेवक 3 2. 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 8 (1) (एम) 3 3 घोषित करती है कि पी. सी. अधिनियम, 1988 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है।

लेजिस्लेटर के रूप में चुने जाने या जारी रखने दोनों के लिए।

विसंगति:

36. अब हम कानूनविदों को अयोग्य ठहराने के सवाल से निपटते हैं

या तो विधायक के रूप में बने रहने से या किसी भी विधायी निकाय के लिए इस आधार पर फिर से निर्वाचित होने से कि उनके या उनके संघों के पास है अर्जित परिसंपत्तियाँ जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान हैं।

37. हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) (एम) के तहत, यह प्रावधान किया गया है कि व्यक्तियों को दोषी ठहराया जाए और सजा दी जाए।

32 पी. वी. नरसिंह राव बनाम राज्य, (1998) 4 एस. सी. सी. 626 "पैरा 85। 1988 के अधिनियम की धारा 2 (सी) में निहित "लोक सेवक" अभिव्यक्ति के अर्थ पर विद्वान वकील की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि संसद का सदस्य एक लोक सेवक है।

1988 के अधिनियम के उद्देश्य के लिए सेवक।

3 3 "धारा 8। कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि पर अयोग्यता। ( 1 ) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति

( एम) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49);

जहां दोषी व्यक्ति को (i) केवल जुर्माने की सजा सुनाई जाती है, ऐसी सजा की तारीख से छह साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा; (ii) कारावास, ऐसी सजा की तारीख से और उसकी रिहाई के बाद से छह साल की और अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जाता रहेगा।

34 लेकिन कठिनाई अभियोजन शुरू करने और इस तथ्य का प्रमाण प्राप्त करने में निहित है कि एक विधायक ने या तो स्वयं या अपने संघों के माध्यम से (विधायक के रूप में सत्ता में रहने के दौरान) संपत्ति अर्जित की जो आय के अपने ज्ञात स्रोतों से असमान हैं। पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों की घटना

को स्थापित करने के लिए जांच और अभियोजन की शुरुआत और अपराध का प्रमाण प्रक्रियात्मक बाधाओं और राजनीतिक बाधाओं और विवेकहीन कठिनाइयों से भरा हुआ है।

यह एक अधिक जटिल और कठिन कार्य बन जाता है जब आरोपी स्वयं

एक कानून निर्माता/कानून निर्माता होता है। पिछले 70 वर्षों के दौरान इस देश का इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि राज्य संदिग्ध वित्तीय अखंडता के साथ दोषियों को कानून के दायरे में लाने में कितना असफल रहा है। इसकी वजहें कई हैं। कम

राज्य तंत्र (जांच और अभियोजन दोनों एजेंसियों) और कानूनी प्रणाली की स्तर दक्षता, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी कुछ ज्ञात कारण हैं। आपराधिक न्यायशास्त्र एक अभियुक्त व्यक्ति को संदेह का बहुत लाभ देता है और राज्य से सभी उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने की अपेक्षा करता है।

35 आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 7 (बी):

" "अयोग्य" से संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य होना अभिप्रेत है।

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत विभिन्न गणना किए गए अपराधों के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए कम से कम 6 महीने के कारावास को या तो चुने जाने या लेजिस्लेटर के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य ठहराया जाता है। याचिकाकर्ता पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि के अभाव में भी इस तरह की अयोग्यता की मांग करता है।

38. संसद ने अध्याय में विभिन्न अयोग्यताओं को निर्धारित किया है।

1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के भाग II का III (धारा 8,8ए, 9,9ए, 10 और 10ए)। उन अयोग्यताओं में से प्रत्येक निर्दिष्ट विभिन्न कारकों से उत्पन्न होती है।

उन अनुभागों में से प्रत्येक के तहत। धन का अनुचित संचय (न्यायाधीशों की संपत्ति) उपर्युक्त किसी भी प्रावधान के तहत या संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 के तहत निर्दिष्ट आधारों में से एक नहीं है जो कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करता है। हालाँकि, दोनों अनुच्छेद 3,6 में निर्धारित किया गया है कि संसद किसी के द्वारा या उसके तहत

कानून, इसके तहत निर्दिष्ट अयोग्यताओं के अलावा अन्य अयोग्यताएं निर्धारित करता है।

39. कानून द्वारा किए गए और किए गए कार्यों के बीच का अंतर

डॉ. इंद्रमणि प्यारेलाल गुप्ता और अन्य बनाम डब्ल्यू. आर. नातु और अन्य, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 274 3 7 से शुरू होने वाले कई मामलों में एक कानून के तहत इस अदालत के विचार के लिए आया और इस अदालत की एक संविधान पीठ ने पैरा 15 पर निर्णय दिया:

"अधिनियम के तहत" शब्दों का अर्थ सर्वविदित है। एक अधिनियम का अर्थ होगा सीधे में अधिनियमित एक प्रावधान द्वारा

विचाराधीन कानून और जो इसके व्यक्त रूप से गैथेरेबल है

भाषा या उससे आवश्यक निहितार्थ द्वारा। शब्द हैं।

" अधिनियम के तहत ", उस संदर्भ में वह दर्शाता है जो सीधे तौर पर क़ानून में नहीं पाया जाता है, लेकिन इसके द्वारा प्रदान या अधिरोपित किया जाता है ऐसा करने के लिए सक्षम करने वाली शक्तियों का गुण; दूसरे शब्दों में, अलविदा

एक अधीनस्थ कानून बनाने वाले प्राधिकारी द्वारा बनाए गए कानून जो है

मूल अधिनियम द्वारा ऐसा करने के लिए सशक्त। भेद इस प्रकार है -

36 अनुच्छेद 102। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ( 1 ) एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

XXX

XXX

XXX

X

XX

( ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

अनुच्छेद 191। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ( 1 ) एक व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा।

किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और होने के लिए

X

XX

XXX

XXX

XXX

( ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

37 भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य, (2014) 3 एस. सी. सी. 222, पैरा 90 भी देखें।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है और नियम बनाने वाले प्राधिकरणों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, जिनके पास अधिनियम द्वारा इस संबंध में शक्तियां निहित हैं। ..... कि इस मायने में

उप-कानून "अधिनियम के तहत" अधीनस्थ कानून होंगे

Ss.11 और स्वयं 12 "की शर्तों से साफ़ करें।

हमारी राय है कि निर्णय का अनुपात अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) की व्याख्या पर सभी बल से लागू होता है।

40. लेजिस्लेटरों की परिसंपत्तियों का हेरफेर और अनुचित वृद्धि या

उनके संगठन अपने आप में किसी व्यक्ति को या तो विधायी होने के लिए अयोग्य घोषित करने या विधायी के रूप में फिर से चुने जाने की कोशिश करने के लिए एक अच्छा आधार हो सकते हैं। संसद द्वारा बनाए गए कानून इस संबंध में मौन हैं। लेकिन 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 169 (1) 3 8 केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। अगर

संविधान या संसद द्वारा बनाए गए कानून (संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई) और 191 (1) (ई) के साथ पठित 1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 169 के तहत संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए) ऐसी अयोग्यता का प्रावधान करते हुए नियम नहीं बनाना चाहिए। दूसरी ओर, संसद के तहत 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 169 ने भारत सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत किया।

41. चुनाव संचालन नियम, 1961 एक उदाहरण है -

अधीनस्थ विधान; आर. पी. अधिनियम की धारा 169 (1) के तहत दी गई शक्ति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित धारा 169 (2) अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने को अधिकृत करती है-'बनाने की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

38 धारा 169। नियम बनाने की शक्ति। ( 1 ) केंद्र सरकार, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

39 केंद्र सरकार, चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाएँ।

नियम '। धारा 169 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है। नियम बनाने का कार्य एक क़ानून के काम करने में अंतराल को भरना है क्योंकि कोई भी विधायिका उन सभी संभावित स्थितियों को कभी नहीं समझ सकती है जिन्हें क़ानून द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता होती है। 40

42. तार्किक रूप से, हम प्रस्तुत करने को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं देखते हैं

याचिकाकर्ता पी. सी. अधिनियम के तहत निर्देश सिद्धांतों के अधिदेश और संसद के निर्देश के आलोक में कि धन का ऐसा अनुचित संचय एक दोषपूर्ण अपराध है। यह घोषणा करते हुए उचित प्रावधान करने की आवश्यकता है कि

ए. एस. एस. ई. टी. एस. पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों के लिए लेजिस्लेटर पर मुकदमा चलाए बिना भी एक लेजिस्लेटर को अयोग्य घोषित करने का आधार है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि तथ्यों का एक दिया गया सेट कानून में नागरिक और आपराधिक दोनों परिणामों को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए; राज्य के तहत रोजगार के संदर्भ में, तथ्यों का एक दिया गया सेट एक अपराध के लिए अभियोजन को जन्म दे सकता है और साथ ही एक कर्मचारी की सेवा को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार भी बन सकता है।

43. यह घोषणा करने के लिए कानून के लिए हमेशा खुला है कि कोई भी

इसका सदस्य इस रूप में बने रहने के लिए अयोग्य है। राजा राम पाल बनाम। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा और अन्य, (2007) 3 एस. सी. सी. 184, इस न्यायालय ने संसदीय विशेषाधिकारों, योजनाओं और संविधान के पाठ के इतिहास पर ध्यान दिया और राय दी कि निष्कासन की शक्ति संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्ति का हिस्सा है। यह ध्यान देने योग्य है कि अनुच्छेद 105 (3) के तहत, "संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" को "संसद द्वारा कानून द्वारा परिभाषित" किया जा सकता है। इस न्यायालय ने इस धारणा पर ध्यान दिया और आगे बढ़ा कि ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। फिर भी इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसी शक्ति विधानमंडल के विशेषाधिकारों का हिस्सा थी।

44. इसलिए यह स्पष्ट रूप से और एक किले का अनुसरण करता है कि कम से कम

एक निर्णय द्वारा कानून के एक सदस्य के निष्कासन का संदर्भ उस सदन के आधार निर्धारित करने के लिए किसी वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

40 जे. के. इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम भारत संघ का पैरा 133।, ( 2007 ) 13 एस. सी. सी. 673 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि "प्रतिनिधिमण्डल" की अवधारणा द्वारा जो

अनुमति दी गई है वह सहायक या अधीनस्थ विधायी कार्यों का प्रत्यायोजन है या जिसे काल्पनिक रूप से कहा जाता है।

"विवरणों को पूरा करने की शक्ति" के रूप में। इस न्यायालय के निर्णयों में यह निर्धारित किया गया है कि विधायिका, विधायी नीति निर्धारित करने के बाद, केंद्र सरकार जैसी प्रशासनिक या कार्यकारी एजेंसी को पूर्ण अधिनियम में निर्धारित विधायी नीति के ढांचे के भीतर विवरण तैयार करने के लिए विवेकाधिकार प्रदान कर सकती है। 41 पैरा 43 प्रति देखें। सभरवाल, सीजेआई। 42 पैराग्राफ 318, प्रति देखें। सभरवाल, सीजेआई।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

जिस पर किसी सदस्य को निष्कासित किया जा सकता है या वह प्रक्रिया जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। हालांकि अनुच्छेद 105 और 194 को अधिकृत करता है

"शक्तियों और विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों" को परिभाषित करने के लिए कानून, कानून बनाने के लिए उस शक्ति का प्रयोग न करना, शक्ति को कम नहीं करता है।

किसी सदस्य को इस आधार पर निष्कासित करने के लिए कि कोई सदस्य कुछ ऐसी गतिविधि का सहारा लिया जो सदन की मंजूरी को पूरा नहीं करती है। किसी सदस्य को निष्कासित करने के निर्णय का निश्चित रूप से अनुच्छेद 102 और 191 के तहत निर्दिष्ट आधारों पर किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के समान प्रभाव होगा। राजा राम पाल मामले में इस अदालत ने अंतर को उजागर किया

"निष्कासन" और "अयोग्यता" के बीच। 43 यह आर. पी. अधिनियम के तहत परिभाषित अयोग्य अभिव्यक्ति के विवरण का जवाब नहीं दे सकता है

45. जांच किए जाने वाला अगला सवाल यह है कि क्या उत्तरदाताओं के लिए अधीनस्थ कानून बनाने की अनुमति है जिसमें कहा गया है कि परिसंपत्तियों का प्रारंभिक अधिग्रहण एक विधायी बना देगा

आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 7 (बी) के तहत अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर अयोग्य ठहराए जाने और विधायिकों के वित्तीय मामलों की नियमित निगरानी करने के लिए एक निकाय की स्थापना करने के लिए।

46. यदि एक अस्थायी अयोग्यता, जैसे कि ऊपर चर्चा की गई है,

योजना और अनुच्छेदों की अवधि के आलोक में, किसी भी विधायी प्रिस्क्रिप्शन के अभाव में भी एक विधायक पर लगाया जा सकता है

102 ( 1 ) ( ई) और 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 169 के साथ पठित 191 (1) (ई), भारत सरकार निस्संदेह ऐसा करने में सक्षम होगी

" अयोग्य "। इसके अलावा, भारत सरकार के लिए यह समान रूप से सक्षम होगा कि वह समय-समय पर विधायिकाओं और उनके संघों के वित्तीय मामलों की निगरानी के लिए एक स्थायी तंत्र स्थापित करे। प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाना। क्योंकि इस तरह के स्थायी तंत्र की स्थापना एक विधायक को "अयोग्य" घोषित करने के लिए प्राधिकरण की एक आवश्यक घटना होगी।

मतदाता को जानकारी:

47. आय के स्रोतों के बारे में जानकारी

उम्मीदवार और उनके संघ, हमारी राय में, निश्चित रूप से 43 आईडी होंगे। पैराग्राफ 144 और 145 [2018] 2 एस. सी. आर.

निर्वाचक मंडल में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार का एक सूचित चयन करने में मतदाता की सहायता करें। इसलिए, यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा एडीआर मामले में समझाया गया है।

यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रथम प्रत्यर्थी ने अपने जवाबी हलफनामे में

कहा गया:

" पैरा 6. यह आगे कहा गया है कि प्रपत्र 26 के संशोधन से संबंधित भारत के चुनाव आयोग के प्रस्ताव की पूरी तरह से जांच की गई और विधि और न्याय मंत्रालय में विचार किया गया और प्रपत्र 26 के संशोधन के लिए अंतिम निर्णय लिया गया है।

1961 नियम। चूंकि इसमें शामिल मुद्दे नीतिगत मामलों से संबंधित हैं और इस विषय पर उचित विचार-विमर्श के बाद अंतिम नीतिगत निर्णय लिया जाता है

फॉर्म 26 में संशोधन करने के लिए लिया गया था।

48. इस तरह के आंकड़ों का संग्रह किसी भी सरकारी एजेंसी या यहां तक कि चुनाव आयोग द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान रिट याचिका

यह मांग करता है कि राज्य को कानून निर्माताओं के वित्तीय मामलों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह को अधिकृत करने वाला कानून बनाने के लिए मजबूर किया जाए। याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि आंकड़ों के संग्रह में पहला कदम उन लोगों को बुलाना होना चाहिए जो एक विधायी निकाय के लिए निर्वाचित होना चाहते हैं-(i) उनकी संपत्तियों और उनके संघों की घोषणा करने के लिए (जो पहले से ही आरपी अधिनियम 1951 की धारा 33 के तहत एक आवश्यकता है)। और (ii) उनकी आय के स्रोत। 49. उपर्युक्त दो घोषणाओं में से दूसरी घोषणा करने की बाध्यता के मौलिक अधिकार के लिए एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है

अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मतदाता को उम्मीदवार के संबंध में प्रासंगिक जानकारी जानने के लिए, ताकि मतदाता मूल्यांकन कर सके और

विधानमंडल में अपने प्रतिनिधि का उचित चुनाव करें। इस तरह के मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान द्वारा राज्य को उचित निर्देश देने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत हैं।

मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपकरण और अन्य निकाय। दूसरी ओर, किसी को भी ऐसा होने का मौलिक अधिकार नहीं है

लेजिस्लेटर बनना या लेजिस्लेटर बनने के लिए चुनाव लड़ना। वे केवल संविधान द्वारा निर्धारित विभिन्न सीमाओं और 1951 के आर. पी. अधिनियम जैसे कानूनों द्वारा संरचित संवैधानिक अधिकार हैं। द.

44 हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि कानून में कुछ भी एक सतर्क नागरिक को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए इस तरह के डेटा एकत्र करने से नहीं रोकता है।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

संविधान स्पष्ट रूप से संसद द्वारा कानून के अधिकार द्वारा या उसके तहत उन अधिकारों की संरचना की अनुमति देता है। योग्यता या अयोग्यता। 45 विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ने के लिए, एक उम्मीदवार को सभी मतदाताओं की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, सिवाय प्रस्तावकों की उचित संख्या के जो राज्य के निर्वाचक होते हैं।

निर्वाचन क्षेत्र, 46 और अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन 1951 के आर. पी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित। लेकिन निर्वाचित होने के लिए, प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या के बहुमत से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

45 अनुच्छेद 84 (सी), 102 (1) (ई), 173 (सी) और 191 (1) (ई) अनुच्छेद 84 देखें। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। - कोई व्यक्ति संसद में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

XXXXX

XXXXX

XXXXX

( ग) ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता है जो उस ओर से निर्धारित की जा सकती हैं -

या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत

अनुच्छेद 102। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ( 1 ) एक व्यक्ति को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

XXXXX

XXXXX

XXXXX (ई) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है। अनुच्छेद 173। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। - एक व्यक्ति

किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए योग्य नहीं होगा जब तक कि वह

XXXXX

XXXXX

XXXXX

( ग) ऐसी अन्य अर्हताएँ रखता है जो उस ओर से निर्धारित की जा सकती हैं -

या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत

अनुच्छेद 191। सदस्यता के लिए अयोग्यता। ( 1 ) एक व्यक्ति को किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा।

XXXXX

XXXXX

XXXXX

( ङ) यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

46 धारा 33। नामांकन पत्र की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताएँ। — ( 1 ) धारा 30 के खंड (ए) के तहत निर्धारित तिथि को या उससे पहले प्रत्येक उम्मीदवार, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रस्तावक द्वारा, ग्यारह घंटे के बीच होगा।

धारा 31 के तहत जारी किए गए नोटिस में इस संबंध में निर्दिष्ट स्थान पर दोपहर और दोपहर तीन बजे निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में पूरा किया गया और उम्मीदवार और निर्वाचन क्षेत्र के एक निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित एक नामांकन पत्र प्रस्तावक के रूप में दें:

बशर्ते कि जिस दिन सार्वजनिक अवकाश हो, उस दिन निर्वाचन अधिकारी को कोई नामांकन पत्र नहीं दिया जाएगा: बशर्ते कि किसी स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचन क्षेत्र, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, "प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक" के संदर्भ को दस प्रतिशत के संदर्भ के रूप में माना जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों में से या ऐसे दस निर्वाचक, जो भी कम हो, प्रस्तावक के रूप में।

मतदान का अधिकार। मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने का मौलिक अधिकार है। पहले चर्चा किए गए कारणों के लिए, उम्मीदवार और उसके संघों के सभी पहलुओं में वित्तीय पृष्ठभूमि प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी है। इसलिए, विधायिका के लिए चुनाव लड़ने का एक उम्मीदवार का संवैधानिक अधिकार उम्मीदवार के बारे में प्रासंगिक जानकारी जानने के मतदाता के मौलिक अधिकार के अधीन होना चाहिए; जानकारी जो इस क्षेत्र में एक सूचित और तर्कसंगत विकल्प बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

50. इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक उम्मीदवार को प्रासंगिक जानकारी का खुलासा करने के लिए मजबूर करना, कुछ हद तक उम्मीदवार के चुनाव लड़ने के संवैधानिक अधिकार पर कानूनी बोझ होगा। इसलिए सवाल यह होगा कि क्या इस तरह की मजबूरी पैदा करने के लिए वैधानिक मंजूरी की आवश्यकता है।

कानून के अधिकार के अलावा। इस संदर्भ में कानून को हमेशा इस न्यायालय द्वारा वैधानिक आधार की आवश्यकता के लिए माना गया है। मौलिक अधिकारों के अलावा संविधान द्वारा प्रदान किए गए कई अन्य अधिकार हैं। जब भी यह उचित समझा गया कि ऐसे अधिकारों में कटौती की जानी चाहिए, तो संविधान के पाठ में इस आशय की घोषणा की गई और यह भी निर्धारित किया गया कि

जिस तरीके से ऐसे अधिकारों को नियंत्रित या विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 10248 संसद की सदस्यता प्राप्त करने के नागरिकों के संवैधानिक अधिकार पर एक सीमा है। यह संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कुछ अयोग्यताओं को निर्धारित करता है। यह आगे घोषणा करता है कि गणना के अलावा

47 बिहार राज्य बनाम। परियोजना उच्च विद्या, शिक्षा संघ, (2006) 2 एस. सी. सी. 545,574 अनुच्छेद 69; भुवन मोहन पटनायक और अन्य बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, (1975) 3 एस. सी. सी. 185,189 पैरा 14

48 सुप्रा नोट 35 लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

1951 के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नियम (अधीनस्थ विधान)। प्रपत्र 26 उम्मीदवार द्वारा प्रकट की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि शपथ पत्र के तहत प्रकट की जाने वाली मौजूदा जानकारी एक उम्मीदवार को प्रदान करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी का संपूर्ण है। न ही धारा 33ए के तहत दी गई जानकारी एक विस्तृत सूची है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उम्मीदवार द्वारा प्रकट की जाने वाली प्रासंगिक जानकारी जानने के मतदाताओं के अधिकार पर कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत मतदाता के मौलिक अधिकार के तहत जांच के अधीन है। इसलिए, मतदाता के लिए जानकारी पर किसी भी सीमा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हमारी राय है कि फॉर्म 26 केवल उस जानकारी का संकेत है जो मतदाता को एक सूचित विकल्प बनाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। और हम धारा 169 (2) में केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति को इस तरह की जानकारी देने से रोकने के लिए कोई कानूनी रोक नहीं देखते हैं।

49

उपलब्ध है।

51. 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 3350 के तहत, प्रत्येक उम्मीदवार

निर्वाचन अधिकारी को एक नामांकन पत्र देना आवश्यक है

निर्धारित प्रपत्र में पूरा करें। " "विहित" पद को धारा 2 (जी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है "इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित"। धारा 1695 1 भारत सरकार को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है - एक्ट करें। इसलिए, नामांकन पत्र की सामग्री नियमों द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

52. अब हम रिट में प्रत्येक प्रार्थना की जांच करेंगे।

याचिका और हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के आलोक में उस पर कोई राहत देने की व्यवहार्यता।

49 इस प्रस्ताव के लिए अधिकार सम्राट वी में अपनी उत्पत्ति है। शिबनाथ बनर्जी, (1944-45) 71 IA 241: एयर 1945 पी. सी. 156: “ ..... उनके अधिपतियों की राय में, उप-धारा (2) का कार्य केवल एक उदाहरणात्मक कार्य है; नियम बनाने की शक्ति उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की जाती है, और 'नियम' जिनका उल्लेख प्रारंभ में किया गया है।

उप-धारा (2) के वाक्य वे नियम हैं जो उप-धारा (1) द्वारा प्राधिकृत और उसके तहत बनाए गए हैं, क्योंकि वास्तव में, 'उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना' शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है; कानून के इस कथन को जम्मू-कश्मीर राज्य v में दोहराया गया था। लखविंदर कुमार, (2013) 6 एस. सी. सी. 333 343 पैरा 23 पर; वी. टी. खानजोदे बनाम।

भारतीय रिजर्व बैंक, (1982) 2 एस. सी. सी. 7 पृष्ठ 14 पैरा पर। 15 ; बीएसएनएल बनाम ट्राई (2014) 3 एस. सी. सी. पैरा। 90 ; अफजल उल्ला बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 264 50 सुप्रा नोट। 46 51 यह, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 33ए की उप धारा (3) के तहत शपथ पत्र के रूप से संबंधित नियमों को बनाने के लिए अधिकृत करता है। ( 2002 के अधिनियम 72 द्वारा अंतःस्थापित, धारा। 6 ( w.r.e.f24-8-2002)

8 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

53. शुरुआत में, हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रार्थना 1 (2) 5 2 और

353 1951 के आर. पी. अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए प्रत्यर्थियों को निर्देश देना।

आर. पी. अधिनियम 1951 का संशोधन विशेष रूप से इसके अंतर्गत आता है।

संसद का क्षेत्र। यह अच्छी तरह से तय है कि कोई भी अदालत किसी भी विधायी निकाय को मजबूर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती और न ही कोई रिट जारी की जा सकती है।

कानून। इसे विधायिका के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। प्रार्थना 1 (2) और 3, जहाँ तक वे विचार करने के लिए परमादेश की प्रकृति में निर्देश चाहते हैं

1951 के आर. पी. अधिनियम का संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता है।

54. प्रार्थना 1 (1) 54 में, याचिकाकर्ता प्रतिवादी को निर्देश देता है।

नं. 1 और 2 नियमों के नियम 4 ए के तहत निर्धारित प्रपत्र 26 में परिवर्तन करना, जो उम्मीदवारों को अपने संबंधित संघों की आय के स्रोतों के साथ अपनी आय के स्रोतों को घोषित करने के लिए बुलाने का प्रावधान करेगा।

प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा माँगा गया

नामांकन में उम्मीदवार और उसके संघों की आय के स्रोतों का खुलासा निश्चित रूप से उचित नियम बनाकर किया जा सकता है। अगला सवाल यह है कि क्या उत्तरदाताओं को उपर्युक्त उद्देश्य के लिए उपयुक्त नियम बनाने के लिए मजबूर किया जा सकता है। भारत सरकार, 1951 के आर. पी. अधिनियम के तहत नियमों को निर्धारित करने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य कर रही है, जिसके तहत मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है।

मतदाता का अनुच्छेद 19 (1) (ए) उम्मीदवारों के संबंध में प्रासंगिक जानकारी जानना है।

52 1. आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना -

XXX

XXX

XXX

( 2 ) उत्तरदाता नं. 1 उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की अस्वीकृति और फॉर्म 26 में शपथ पत्र में जानबूझकर अपनी संपत्ति के बारे में गलत जानकारी देने वाले सांसदों/विधायकों/एमएलसी को अयोग्य ठहराने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में उपयुक्त संशोधन पर विचार करना।

नामांकन दाखिल करना;

53 3. हिंदू अविभाजित परिवार/न्यास/साझेदारी फर्म (ओं)/निजी कंपनी (कम्पनियों) द्वारा उपयुक्त सरकार और किसी भी सार्वजनिक कंपनी के साथ अनुबंधों को शामिल करने के लिए अधिनियम की धारा 9-ए में संशोधन करने पर विचार करने के लिए प्रत्यर्थियों को अनिवार्य रूप से एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जिसमें उम्मीदवार और उसके जीवनसाथी और आश्रितों का हिस्सा या हित है।

54 " 1. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, अनिवार्य की प्रकृति में-(1) उत्तरदाताओं को नहीं। 1 और 2 निर्वाचन आचरण नियम, 1961 के नियम 4ए के तहत निर्धारित प्रपत्र 26 में आवश्यक परिवर्तन करना।

सुझाव को डब्ल्यू. पी. के पैरा 38 में देखें; "लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

उत्तरदाता सं। 1 और 2 संवैधानिक रूप से लागू करने के लिए बाध्य हैं

अनुच्छेद 42 से 45 तक, हमारी राय यह भी है कि कानून निर्माताओं और उनके संघों की आय के स्रोतों के बारे में जानकारी और उम्मीदवार प्रासंगिक हैं और कानून निर्माताओं और उम्मीदवारों को अधीनस्थ कानून द्वारा भी मजबूर किया जा सकता है। हम प्रार्थना अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं देखते हैं 1 (1)।

55. ए. डी. आर. मामले में इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के आलोक में और

पी. यू. सी. एल. मामले में, हम फॉर्म 26 (उम्मीदवारों द्वारा घोषणा) में परिवर्तन से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए न तो कोई कानूनी या मानक बाधा देखते हैं और न ही किसी भी उत्तरदाता द्वारा हमारे सामने कोई स्थायी कानूनी आपत्ति उठाई गई है। दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी ने अपने काउंटर में कहा:

" 7. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहाँ तक शीर्षक में पहली प्रार्थना है

रिट याचिका का संबंध है, स्रोतों के बारे में जानकारी

उम्मीदवारों, उनके जीवनसाथी और आश्रितों की आय होगी

प्रपत्र 26 के कर्नल (9) में घोषणा का हिस्सा। जवाब प्रत्यर्थी आयोग ने अपने पत्र सं। 3 / 4 / ईसीआई/एलईटी/एफयूएनसी/जेयूडी/एसडीआर/Vol.1/2016 दिनांक 7.09.2016 ने पहले ही अनुरोध किया है

विधि और न्याय मंत्रालय प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करेगा

फॉर्म 26 के कॉलम (3) और कॉलम (9) में बनाया गया और कुल मिलाकर याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना के साथ पुष्टि "।

इसलिए, हमारी राय है कि प्रार्थना 1 (1) दी जानी चाहिए और तदनुसार दी जानी चाहिए। हम नियमों के उस नियम 4 ए को निर्देशित करते हैं और

नियमों में संलग्न प्रपत्र 26 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों और उनके संघों को अपने स्रोतों की घोषणा करने की आवश्यकता होगी।

आय। 56. अब हम प्रार्थना 1 (3) पर चर्चा करेंगे जो तीन अलग-अलग उपाख्यानों की मांग करती है। हमारी राय में, राहत से निपटना अधिक तर्कसंगत होगा

प्रार्थना में माँगा गया 1 (3) (ii) 55

55 1. आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना -

XXX

XXX

XXX

( 3 ) उत्तरदाताओं के लिए नहीं। 3 5 से

XXX

XXX

XXX

( ii) उन सांसदों/विधायकों/एम. एल. सी. के संबंध में इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए एक स्थायी तंत्र है जिनकी संपत्ति अगले चुनाव, [2018] 2 एस. सी. आर. तक 100% से अधिक बढ़ जाती है।

प्रार्थना 1 (3) (ii) में, याचिकाकर्ता स्थापना के लिए निर्देश चाहता है।

लेजिस्लेटरों के कार्यकाल के दौरान उनकी परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि की जांच/जांच करने के लिए एक स्थायी तंत्र

57. हम पहले ही (i) इस तथ्य पर ध्यान दे चुके हैं कि कानून निर्माताओं और/या उनके संगठनों की परिसंपत्तियों में वृद्धि हुई है। अपनी-अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से असमान होना, सम्मोहक अनुमान द्वारा, एक संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य आचरण है और

अंततः पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध और (ii) 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 के अर्थ के भीतर 'अनुचित प्रभाव' का गठन करता है। के संवैधानिक और कानूनी दायित्वों को प्रभावी बनाने के लिए

इस देश की चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता और लोकतांत्रिक संरचना की अखंडता को बनाए रखने के लिए कानूनविदों और उनके संघों, उनकी संपत्तियों और आय के स्रोतों की लगातार निगरानी की आवश्यकता है। न्यायमूर्ति लुई डी. ब्रांडेस ने बोधगम्य रूप से कहा: सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालय निजी नागरिक का होता है।

58. नागरिक, संप्रभुता का अंतिम भंडार

लोकतंत्र की उन सभी सूचनाओं तक पहुंच होनी चाहिए जो महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा को सक्षम बनाती हैं

राज्य के निष्पादन, उसके साधनों और उनके अवलंबी या इच्छुक सार्वजनिक अधिकारियों के बारे में। ऐसी जानकारी तक पहुँच के माध्यम से ही नागरिक राज्य के सार्वजनिक पदों पर आसीन या आसीन होने के इच्छुक लोगों के संबंध में तर्कसंगत विकल्प चुनने में सक्षम/सशक्त होता है।

59. राज्य का देश के लोगों के प्रति एक संवैधानिक दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि धन का केंद्रीकरण आम नुकसान और लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए न हो। इसलिए, यह आवश्यक है,

जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा उचित रूप से अनुरोध किया गया है, कार्य के लिए समर्पित एक स्थायी संस्थागत तंत्र होना चाहिए। इस तरह के तंत्र की आवश्यकता समय-समय पर कानून निर्माताओं और उनके संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए होती है।

प्रत्येक मामले में यह जांच करता है कि क्या परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि हुई है और उचित मामलों में या तो विधायक और/या विधायक के संबंधित संघों पर मुकदमा चलाने या जानकारी देने के लिए कार्रवाई की सिफारिश करता है। उचित विधायिका के समक्ष ऐसे विधायी की विधायिका के संबंधित सदन के सदस्य बने रहने की पात्रता पर विचार करने के लिए।

लोक प्रहरी, इसके सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

60. इसके अलावा, उक्त तंत्र द्वारा इस प्रकार एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ-साथ

विश्लेषण और सिफारिश, यदि कोई हो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, को सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए ताकि ऐसे विधायक के मतदाता एक सूचित और उचित निर्णय ले सकें, यदि ऐसा विधायक भविष्य में किसी भी विधायी निकाय के लिए कोई चुनाव लड़ने का विकल्प चुनता है।

61. ऊपर वर्णित कारणों के लिए, हम प्रथम उत्तरदाता की प्रार्थना 1 (3) (ii) की अनुमति देते हैं।

62. प्रार्थना 1 (3) (i) में, याचिकाकर्ता प्रार्थना करता है कि एक जांच /

रिट याचिका के अनुलग्नक पी-6 में नामित न्यायाधीशों की "परिसंपत्तियों में असमान वृद्धि" की जांच की जाए।

हमारी राय है कि एक जांच/जांच जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा नामित न्यायाधीशों के संदर्भ में मांगी गई है।

यह किसी भी स्थायी तंत्र के अभाव में मामले की चयनात्मक जांच के बराबर होगा जो नियमित रूप से सभी प्रतिनिधियों और/या एक वर्ग के रूप में उनके संघों की परिसंपत्तियों के विकास की निगरानी करता है। इस तरह की चयनात्मक जाँच राजनीतिक चुड़ैल-शिकार की ओर ले जा सकती है। इसलिए हम इस स्तर पर इस राहत को अस्वीकार करते हैं। 63. अब हम प्रार्थना संख्या पर चर्चा करेंगे। 257 जो यह घोषणा करना चाहता है कि परिसंपत्तियों और आय के स्रोतों का खुलासा न करना

दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय और किस आरोप में 56 1. आदेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना -

XXX

XXX

XXX

( 3 ) उत्तरदाताओं के लिए नहीं। 3 5 से

( i) डब्ल्यू. पी. के अनुलग्नक पी6 में सूची में शामिल सांसदों/विधायकों/एम. एल. सी. की संपत्ति में असमान वृद्धि की जांच/जांच करना,

57 प्रार्थना संख्या 2-"घोषणा करें कि एक उम्मीदवार द्वारा अपनी, जीवनसाथी और आश्रितों की संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव के बराबर होगा और इस तरह, भ्रष्टाचार और ऐसे उम्मीदवार के चुनाव को ए. आई. आर. 2015 एस. सी. 1921 में बताए गए निर्णय के संदर्भ में आर. पी. अधिनियम 1951 की धारा 100 (1) (बी) के तहत अमान्य घोषित किया जा सकता है।"

न्यायालय द्वारा तैयार किया गया है या संज्ञान लिया गया है। एक चुनाव याचिका में, यह आरोप लगाया गया था कि उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले कुछ आपराधिक मामले लंबित थे, लेकिन वापस लौटे उम्मीदवार द्वारा अपना नामांकन दाखिल करते समय उक्त जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था। इस न्यायालय के समक्ष एक सवाल यह था कि क्या ऐसा है गैर-प्रकटीकरण 'अनुचित प्रभाव' के बराबर है-पंचायत अधिनियम के तहत एक भ्रष्ट प्रथा। यह उल्लेख किया जा सकता है कि पंचायत अधिनियम ने केवल 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 में निहित एक भ्रष्ट प्रथा की परिभाषा को अपनाया।

मामले के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार करने पर, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

91. ..... नामांकन पत्र दाखिल करते समय, यदि आवश्यक हो तो

आपराधिक पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी, जैसा कि हमारे द्वारा उजागर की गई है, नहीं दी गई है, निस्संदेह, लोगों को गुमराह करने और अंधेरे में रखने का प्रयास किया गया है। यह प्रयास निर्विवाद रूप से और निर्विवाद रूप से अनुचित प्रभाव है और,

इसलिए, यह एक भ्रष्ट प्रथा है। ..... "

64. उसी तर्क के लिए जो इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया था

कृष्णमूर्ति, हमारी यह भी राय है कि उम्मीदवारों की परिसंपत्तियों और आय के स्रोतों का खुलासा न करना और उनकी

ए. एस. एस. ओ. सी. आई. ए. टी. ई. एस. शीर्षक के तहत आने वाली एक भ्रष्ट प्रथा होगी।

' 1951 के आर. पी. अधिनियम की धारा 123 (2) के तहत परिभाषित अनुचित प्रभाव। इसलिए हम प्रार्थना संख्या 2 की अनुमति देते हैं।

65. प्रार्थना संख्या 4 पर आते हुए, याचिकाकर्ता केवल मांग कर रहा है

अनुबंधों के बारे में जानकारी, यदि कोई हो तो उपयुक्त के साथ उम्मीदवार या उसके जीवनसाथी और आश्रितों द्वारा सरकार।

" .....उम्मीदवार, उसके पति/पत्नी और आश्रितों द्वारा सीधे या हिंदू अविभाजित परिवार/ट्रस्ट/साझेदारी फर्म (ओं)/निजी कंपनी (कंपनियों) द्वारा उपयुक्त सरकार और किसी भी सार्वजनिक कंपनी के साथ अनुबंधों के बारे में जानकारी जिसमें उम्मीदवार और उसके पति/पत्नी और आश्रितों का हिस्सा या ब्याज भी होगा। नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म 26 में हलफनामे में प्रदान किया गया है।

66. पूर्वगामी चर्चा के आलोक में, उपरोक्त प्रार्थना के तहत आवश्यक जानकारी निश्चित रूप से अनुचित के आधार पर अयोग्यता के संदर्भ में प्रासंगिक जानकारी है।

इसलिए, संपत्ति में वृद्धि, हम राहत देने के लिए कोई आपत्ति नहीं देखते हैं, जैसा कि प्रार्थना की गई थी।

प्रहरी, अपने सामान्य सचिव एस. एन. शुक्ला बनाम के माध्यम से। भारत संघ [चेलामेश्वर, जे.]

67. हमारे पास प्रार्थना संख्या 5 आईओ के माध्यम से मांगी गई नक्काशी बची है। 8 2016 से। याचिकाकर्ता ने आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए फॉर्म 26 में संशोधन करने की मांग की है। माँगी गई जानकारी का विश्लेषण (प्रार्थना से देखा गया) इंगित करता है कि सभी जानकारी आर. पी. अधिनियम के तहत वैधानिक रूप से निर्धारित अयोग्यताओं के अगले भाग में है।हमारी राय में, इस तरह की जानकारी निश्चित रूप से एक मतदाता के लिए प्रासंगिक होगी कि वह किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करे या नहीं, इस पर एक उचित विकल्प चुनने के लिए आई. ए. संख्या 8 में की गई सभी छह प्रार्थनाओं की अनुमति है।

68. रिट याचिका की अनुमति है जैसा कि ऊपर बताया गया है, लेकिन, में

बिना किसी लागत के।

पांडे

लेखन याचिका की

अनुमति दी गई